राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– <u>राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/08/2023 को संपन्न 484वीं बैठक का कार्यवाही विवरण</u>

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 484वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एम.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विकास सिंह ठुग, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेण्डा आइटम क्रमांक–1: **483वीं बैठक दिनांक 10/08/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 483वीं बैठक दिनांक 10/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–2: **औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स इंद्रमणी स्टील्स (प्रोप्रा.–श्री संजीव कुमार जायसवाल), टेकारी इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, ग्राम–टेकारी, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2368)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/418217/ 2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा टेकारी इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, ग्राम–टेकारी, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 328/2 एवं 324/2, कुल क्षेत्रफल–0.28 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग एवं इण्डक्शन मिल क्षमता 2,000 टन प्रतिवर्ष से 3,600 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन

किया गया है। विस्तार हेतु परियोजना का विनियोजन लागत 2.586 करोड़ होगा एवं परियोजना का कुल विनियोजन 5.086 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.आर. देवांगन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पाया गया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना हेतु कुल क्षेत्रफल 1.328 हेक्टेयर के स्थान पर त्रुटिवश 0.28 हेक्टेयर का उल्लेख करते हुए परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण से ऑनलाईन आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स स्वाति इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–रायपुर (अभिलेखागार का नस्ती क्रमांक 2361)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/424838/ 2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 397, 398, 395, 399, 431/3, 431/7, 434/2, 433, 434/1-8, 434 एवं 434/18, कुल क्षेत्रफल–2.408 हेक्टेयर, रि-रोलिंग स्टील प्रोडक्ट्स (सभी प्रकार के स्टील आईटम्स एवं सेक्शन, एंगल, चैनल्स, जोईस्ट्स, फ्लैट्स, पाईप्स, स्ट्रक्चर्स, टी.एम.टी. बार्स आदि)–60,000 टन प्रतिवर्ष एवं फेब्रिकेशन ऑफ टॉवर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, सब स्टेशन एवं रेलवे स्ट्रक्चर्स एवं पार्ट्स – 18,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोजन लागत 8 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश कुमार [illegible], अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पाया गया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोलिंग स्टील प्रोडक्ट्स (सभी प्रकार के स्टील आईटम्स एवं सेक्शन, एंगल,

राउण्ड्स, स्क्वेयर्स, फ्लैट्स, चैनल्स, एंगल्स, टी.एम.टी. बार्स आदि)–60,000 टन प्रतिवर्ष एवं फेब्रिकेशन ऑफ टॉवर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स, सब स्टेशन एण्ड रेल्वे स्ट्रक्चर्स एण्ड पार्ट्स – 18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 09/07/2018 को जारी की गई। जिसकी वैधता दिनांक 31/07/2023 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी जल एवं वायु संचालन सम्मति के पालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में रोलिंग मिल हेतु सम्मति वर्ष 2008 में प्राप्त की गई थी, जिसमें ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल का उपयोग किया जाना बताया गया है। तत्पश्चात् एम.एस. पाईप फेब्रिकेशन हेतु सम्मति वर्ष 2008 में प्राप्त की गई थी। कालांतर रोलिंग मिल में ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल इसके स्थान पर कोल गैसीफायर हेतु संशोधित सम्मति वर्ष 2012 में प्राप्त की गई। समिति का मत है कि उपरोक्त सम्मति की प्रति ई.आई.ए. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित सुविधाओं संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी उरला 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम शहर रायपुर 5 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 8.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.2 कि.मी. एवं खारून नदी 3.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भूमि संबंधी विवरण** :– पूर्व में भूमि श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम पर थी। तत्पश्चात् दिनांक 10/01/2008 को भूमि की मेसर्स स्वास्तिक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित की गई। भूमि एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत कि गई है।

4. **लेण्ड यूसेज ब्रेकअप –**

S.No.	Land use	Area (SQM)
1.	Rolling Mill Shed Area	4,175.20
2.	Raw Material Area	1,350.80
3.	Finished Goods Area	1,228.00
4.	Fabrication Shed Area	1,535.00
5.	Coal Yard Area	706.46
6.	Parking Area	982.40
7.	Neutralization Tank Area	1,426.24
8.	Green Belt Area	7,417.12
9.	Office Area	180.00

10	Road Area	4,885.40
11	Open Area	911.30
Total		24,588.91

5. रॉ-मटेरियल –

Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
Billets/ Ingots	63,000	Open Market	By Road

6. मटेरियल बैलेन्स–

INPUT	
Material	TPA
Billets	63,000
OUTPUT	
Re-rolled steels product	60,000
Mill Scale	1600
End Cutting	1400

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 60,000 TPA
S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Fabrication Mill
2.	Products	Fabrication Products – 18,000 TPA

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – रोलिंग मिल से मिल स्केल– 1,600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग – 1,400 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील प्लांट इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही यूज्ड ऑयल 0.2 किलोलीटर प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसका उपयोग मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल स्त्रोत एवं खपत –परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 28 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना हेतु प्रति दिवस कुल 28 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। भू-जल की उपलब्धता हेतु केन्द्रीय ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अ

ग्राउंडवाटर अथॉरिटी हेतु दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। शून्य निस्त्रावण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से की जाती है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.83 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,080 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग परिसर के भीतर 200 नग पौधे रोपित किये गए है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में 10/03/2022 को सूचना दी गई।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार " The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

    Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर)

ऑफ ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. (विथ पब्लिक हियरिंग) मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टी.ओ.आर. के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit all the air and water consent copy issued by Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

v. Project proponent shall submit the coal consumption details at the time consent issued by board and as per the applied proposal.

vi. Project proponent shall submit coal gasifier capacity at the at the time consent issued by board and as per the applied proposal.

vii. Project proponent shall submit the details of waste water generated from the fabrication unit during acid treatment, water washing, galvanizing etc. Project proponent shall also submit the waste water treatment facility.

viii. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the fabrication unit.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 : परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स बलरामपुर सेण्ड क्वारी (बी–2) (प्रो.– श्रीमती कुसुमलता साहू), ग्राम–बलरामपुर, तहसील–बलरामपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1958)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 261xxx/2022, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बलरामपुर, तहसील–बलरामपुर, जिला–बस्तर स्थित नदी और खसरा क्रमांक – 184, कुल क्षेत्रफल–2.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी नहीं से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्खनन क्षमता–17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओंकार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बलरामपुर का दिनांक 26/11/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **विवादित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विवादित/सीमांकित नहीं घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 660/खनिज/उ.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 06/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 303–बी/खनिज/खलि.2/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर संचालित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 302–बी/खनिज/सा.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्मशान एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती कुसुमलता साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3036/खनिज/सा.लि.3/रिवर्स ऑक्शन (रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 1.26 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–[illegible] 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.83 कि.मी. एवं राजमार्ग 38 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 368 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 23 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 18 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 17,600 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत परत की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 1 गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत पंचनामा में रेत की गहराई 2 मीटर बताया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित स्थल पर

सर्वेक्षण में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई कितनी है? अतः रेत की वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खनन क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/02/2022 को रेत स्तर के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेघरी शासकीय प्राथमिक शाला (क्र–1) एवं मेघरी शासकीय प्राथमिक शाला (क्र–2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत राशि व्यय किये जाने हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत सी.ई.आर. राशि का व्ययवार विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detail Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट पर कुल 40 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 450 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,04,960 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,24,610 रूपये एवं आगामी 2 वर्ष हेतु कुल राशि 3,88,880 रूपये पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के घाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की अधिकतम सीमा (Maximum Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे (River Bank) वृक्षारोपण किया जाए।

18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक् विवेचना से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एस.ओ.आई. की सीमा पुष्टि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम जल क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (दस्तावेज सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की ऊंचाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।

6. मेसर्स बजरंगबली सेण्ड क्वारी (बी-1) एवं मेसर्स बजरंगबली सेण्ड क्वारी (बी-2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पौधा रोपण वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् सी.ई.आर. राशि का व्ययवार विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detail Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पश्चात आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की अगली बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 04/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** ऐसा बताया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि खनिज विभाग द्वारा रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 02 वर्ष की स्वीकृति हेतु एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जगदलपुर बस्तर, जिला-जगदलपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि.अ./80 जगदलपुर, दिनांक 09/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्षाकाल में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर आवर्धित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (छायाचित्र सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सत्यापन खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की औसत लंबाई 282 मीटर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बजरंगबली सेण्ड क्वारी (बी-1) एवं मेसर्स बजरंगबली सेण्ड क्वारी (बी-2) का सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पौधा रोपण वन निर्माण हेतु संयुक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village: Rajawand	
			Pavitra Van Nirman	5.72
			Total	5.72

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 नग पौधों के लिए राशि 27,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,34,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,53,000 रूपये तथा द्वितीय वर्ष में कुल राशि 2,19,300 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 2 वर्षों में कुल राशि 5,72,300 रूपये व्यय होगा, जिसमें से आवेदित खदान द्वारा अधिकतम रूप से राशि 2,86,150 रूपये व्यय किया जाएगा। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत रजावण्ड की सहमति उपरांत चयनित स्थान (खसरा क्रमांक 882, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का रख-रखाव आवेदित खदान द्वारा आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित किया जाए।

8. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। [illegible] नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-बजावण्ड) का रकबा 0.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में सिल्टेशन स्टडी अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खदान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जावेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजीपुर सेण्ड क्वारी (बी–2) (प्रो.– श्रीमती कुसुमलता साहू), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 184, ग्राम–बलरामपुर, तहसील–बलरामपुर, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 4,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खदान पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. प्रस्तावित स्थल पर वर्षाकाल में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (फोटोग्राफ सहित) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. उत्खनन सीजन में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का संबंधित खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की तरह 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स [illegible] (टेकाढोढ़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–टेकाढोढ़ा, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर (प्रतिवेदक का नस्ती क्रमांक 1704)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/214886/2021, दिनांक 12/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 20/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टेकाढोढ़ा, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 11, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–12,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि [illegible] के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 16/03/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (इनक्लूडिंग प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 430/खनि.लि./खनिज/2018–19 कांकेर, दिनांक 20/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1087/खनिज/उ.प./2019–20

कांकेर, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1396/खनिज/उ.प./2019-20 कांकेर, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री प्रमोद चोपड़ा के नाम पर है। लीज अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 01/05/2002 से 30/04/2012 तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा में उत्खनन कार्य वर्ष 2004 से वर्तमान दिनांक तक उत्खनन कार्य नहीं किया गया है तथा दिनांक 08/05/2018 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश उपरांत उत्खनन कार्य वर्तमान दिनांक तक बंद होना बताया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत पट्टा निष्पादन हेतु अनुबंध निष्पादन के बाद ही उक्त उत्खनिपट्टे में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2344 भानुप्रतापपुर, दिनांक 03/04/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टेका डोंगरी 0.26 कि.मी., स्कूल ग्राम–टेकाडोंगरी 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल कच्चे 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.26 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन क्षेत्र एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,46,000 टन (2,40,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 3,22,832 टन (1,61,318 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 3,06,600 टन (1,53,260 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,288 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 28 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000
पंचम	12,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (धूल निवारण, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में 10 नग अवस्थित पेड़ों को उत्खनन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यकता होने पर वृक्षों की कटाई हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाएगी। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी के संबंध में वन विभाग द्वारा अस्पष्टता प्रकट की गई। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक से जानकारी/दस्तावेज मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापन प्रति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर को अनुरोध किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त वांछित पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 30/03/2022

समिति द्वारा पाया गया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा दिनांक 27/01/2022 द्वारा 4 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति दी गई है। समिति का मत है कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाना बताया गया था। अतः जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 16/11/2022

समिति द्वारा पत्रों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2344 भानुप्रतापपुर, दिनांक 03/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् भू-जल की उपलब्धता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाना बताया गया है। अतः पत्रक के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 90,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रूपये, तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रूपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,35,000 रूपये हेतु पंचवर्षीय प्लान का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government School Village-Awaspara Saliha	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation with fencing	0.20
			Total	0.60

5. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में (नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 1,13,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाना है अथवा नहीं? के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा मदों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निकटतम वन क्षेत्र हेतु टोपोशीट प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि उक्त टोपोशीट से आवेदित खदान क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की सीमा की वास्तविक दूरी प्रमाणित नहीं होती है। अतः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत से जल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की

जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सम्बंधित वनमण्डलाधिकारी [illegible] से लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स एम–1, रामनगरी सैण्ड क्वोरी (प्रो.– श्री सुभाष कुमार गुप्ता), ग्राम–रामनगरी, तहसील व जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2080)**

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275383/2022, दिनांक 01/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/08/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (सैण्ड क्वोरी) खदान है। यह खदान ग्राम–रामनगरी, तहसील व जिला–जशपुर स्थित प्लॉट ब्लॉक खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता–26,120 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सुभाष कुमार गुप्ता, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तावक के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 11/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **सिमांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान सिमांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1243/खलि–2/2022 रायगढ़, दिनांक 24/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 46/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 05/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 46/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 05/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री [illegible] के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 530/गौण खनिज/नीलामी/2022 जशपुर, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 6226/खनि 02/रेत (क्र 7)/न.क्र. 38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/11/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में विस्तार वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात् दिनांक 20/02/2023) हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2021/320 जशपुर, दिनांक 23/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–[illegible] 2 कि.मी. एवं अस्पताल जशपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के डाउनस्ट्रीम में 480 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 140

मीटर, न्यूनतम 118 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 380 मीटर, न्यूनतम 364 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 58 मीटर, न्यूनतम 48 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़ना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 39,120 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तुत पंचनामा को खनि निरीक्षक द्वारा (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 08/03/2022 को रेत स्तर के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें ग्राफिक विवरण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी (जो भी अधिक हो) के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 440 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के आंशिक 1.888 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village- Ratemati	
			Paudha Van Nirman	2.98
			Total	2.98

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पौधा वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, जामुन, बेल, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए

राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 53,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,46,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "सघन वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत कलमनारी की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थल (खसरा क्रमांक 11/2, क्षेत्रफल 4.071 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

14. समिति का मत है कि नदी के तट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या उपयुक्त स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तुत दस्तावेज की प्रति निदेशक द्वारा (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
2. नदी के तट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या उपयुक्त स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया गया है।

2. ग्राम–[illegible] के अंतर्गत नदी के पाट के दोनों तरफ बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुए नदी के पाट में 1,000 पौधों का रोपण एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ 750 पौधों का रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार 1,750 नग पौधों के लिए राशि 26,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 1,60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 16,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये एवं साईन बोर्ड के लिए 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,55,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,22,000 रूपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. नदी तट एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता दर (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

7. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–स्तरीय समिति (प्रोप्राइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। उक्त नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में सिल्टेशन स्टडी अध्ययन (Siltation Study) करायेंगे, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, जलीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं फिक्स बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जायेगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स एस–1, पटपरघाटी सैण्ड क्वॉरी (प्रो.– श्री सुभाष कुमार गुप्ता), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक [illegible], ग्राम–पटपरघाटी, तहसील व जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 440 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.956 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 11,736 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

5. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की शर्तों का शत प्रतिशत क्षेत्र में पालन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सी.एस. टेक्नोक्रेटिव प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसेलिटी), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा (अभिस्वीकृत का नस्ती क्रमांक 1294)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 53307/2020, दिनांक 13/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 298079/2022, दिनांक 29/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसेलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 388, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित था। वर्तमान में **स्थल परिवर्तन** कर परियोजना ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 388/2, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना के अंतर्गत इंसीनरेशन फर्नेस पायरोलाईसिस क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा **के स्थान** पर अल्ट्रा–वर्ल्ड कंट्रोल्ड एयर ऑक्सी फायर्ड क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा किये जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है। शेष ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर/बैच एवं श्रेडर क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा में कोई भी परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 868, दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फेसेलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंसीनरेशन फर्नेस पायरोलाईसिस क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर/बैच एवं श्रेडर क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा हेतु जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 06/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन अग्रवाल, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ग्रासरूट्स इन्वायरो टेक एण्ड इंजीनियर्स प्रा.लि. की ओर से श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. उक्त टी.ओ.आर. में निम्नानुसार संशोधन चाहा गया है–

Sr. No.	Amendment proposed in	Previously Proposed	After proposed amendment
1.	Location of Plant	Part of Khasra Number 359, (Total 1 Acre), Village: Barbaspur, District Korba, Chhattisgarh	Part of Khasra Number 359/2, (Total 1 Acre), Village: Barbaspur, District Korba, Chhattisgarh
2.	Type of Incinerator	Induction Plasma Pyrolysis **(Electricity based)** (100 Kg/Hr)	"ALFA THERM" Controlled Air **Oil Fired (LDO)** (100 Kg/Hr)
3.	Total Fuel (LDO) requirement	For DG Set (150 KVA): 20 Liters/Hr	For DG Set (100 KVA): 15 Liters/Hr
		For Incinerator (100 Kg/Hr): 0 Liters/Hr	For Incinerator (100 Kg/Hr): 20 Liters/Hr
4.	Electricity Requirement	150 KVA (120 KW)	100 KVA (80 KW)
5.	Capacity of D.G. set	150 KVA	100 KVA
6.	Stack Height of D.G. set	12 meter	4 meter

2. **भूमि संबंधी दस्तावेज –**

- पूर्व में कार्यालय नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा पत्र दिनांक 05/08/2021 के माध्यम से भूमि खसरा क्रमांक 359 में से रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) भूमि को जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए इंसीनरेटर स्थापना हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा को आवंटन किया गया था। जैव अनुबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा एवं मी.एस. टेक्नो कॉम्प सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, [illegible] के मध्य किया गया है। यह अनुबंध 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 01/10/2020 से दिनांक 30/09/2050 तक की अवधि हेतु किया है।
- वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1317/वाचक/अति.तह./2022 कोरबा, दिनांक 12/09/2022 द्वारा 359/2 रकबा 29.826 में से रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) भूमि के सीमांकन हेतु जाँच प्रतिवेदन, नजरी नक्शा एवं खसरा पंचसाला वर्ष बी–1 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- समिति का मत है कि कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा को आवंटित भूमि संबंधी दस्तावेज तथा भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा से परियोजना प्रस्तावक को आवंटित भूमि/लीज अनुबंध संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लैण्ड यूजेस स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	As Per New Layout		As Per Old Layout	
		Area (m^2)	Area (%)	Area (m^2)	Area (%)
1.	Incinerator Plant Area	720	17.7	208	5.1

2.	Shredder Room and sterilization area	84	2	108	2.6
3.	Collection & Segregation area	70	1.7	120	3
4.	Yellow Waste Storage Area	42	1	28	0.7
5.	Red Waste Storage Area	42	1	28	0.7
6.	Other Waste Storage Area	42	1	28	0.7
7.	Hazardous Waste Storage room	56	1.4	54	1.3
8.	Treated Waste room	42	1	80	2
9.	E.T.P.	70	1.7	56	1.3
10.	Vehicle wash	84	2.1	54	1.6
11.	parking area	54	1.3	165	4
12.	Admin Building	140	3.4	65	1.7
13.	Green Belt	1464.4	35.8	1,346	33
14.	Roads Area and open space area and other area	1,181.5	28.9	1,718	42.3
	Total Area	4,082	100	4,082	100

4. [illegible] –

- **<u>Brief Specifications Of Alfa-Therm Controlled Air Oil Fired Incinerator</u>**

S.No.	Specifications	
1.	Type of Incinerator	"ALFA-THERM" controlled air Oil Fired Incinerator Model BMW-250
2.	Type of Waste	Biomedical Waste
3.	Burning Capacity	100 Kg/hr
4.	Auxiliary Fuel	Diesel
5.	Type of Burner Operation	Monoblock/Split type fully automatic burners
6.	Temperature 1. Primary Chamber 2. Secondary Chamber	800 ± 50°C 1050 ± 50°C
	Primary Chamber	
1.	Type	Static Solid Hearth
2.	Material of Construction	Mild Steel, 12-16 mm thick
3.	Refractory thickness	300 mm thick
4.	Temperature resistance	1400°C
5.	Insulation thickness	115 mm thick
6.	Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
7.	Waste Charging	Automatic through Hydraulic Ram Pusher
8.	Ash Removal	Manual
	Secondary Chamber	
1.	Type	Static Furnace connected to primary furnace
2.	Material of Construction	Mild Steel, 10 mm thk
3.	Refractory thickness	115 mm Thk insulation brick and 115 mm x 2 layer of fire brick
4.	Material	Refractory bricks confirming to IS-8
5.	Temperature resistance	1200°C

6.	Insulation thickness	115 mm
7.	Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
8.	Residence time for flue gases	2 seconds
Venturi Scrubber-		
1.	Type	High Pressure Drop Type
2.	Material of Thickness	Stainless Steel 316L, 5mm thick
3.	Refractory Thickness	115 mm thick
4.	Material	Refractory bricks confirming to IS-8
5.	Temperature resistance	78-80°C
6.	Scrubbing Media	Water with 5% Caustic
Packed Bed Scrubber-		
1.	MOC	Mild Steel rubber lined
2.	Water re-circulation pump with motor	Provided
3.	Interconnecting piping	PPR
4.	Packing media	Intalox Saddles/Pall rings
5.	Interconnecting ducting	Mild Steel Rubber lined
6.	Scrubbing Media	Water
I.D. Fan-		
1.	Type	High Pressure Centrifugal type
2.	MOC	Stainless Steel impeller and Mild Steel Rubber lined casing
3.	Drive	Belt Driven
Combustion Fan-		
1.	Type	Centrifugal
2.	Modulation	Manual damper control
3.	MOC	Mild Steel / SS316
4.	Drive	Direct drive
Burners-		
1.	No. of burners	As per standard design of incinerator
2.	Type	Monoblock fully automatic
3.	Fuel	Diesel
4.	Make	"Alfa Therm"
Height of chimney 30 m-		
1.	MOC	Mild Steel
2.	Type	Self-supporting
3.	Height	30 m from ground level
4.	Other Standard Accessories	Aviation lamp, lightening arrestor, stack drain, inspection platform, sampling port
5.	Paint	The chimney is painted externally with two coats of heat resistant aluminum paint
6.	Ladder	To be provided

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – ALFA-THERM Controlled Air Oil Fired Incinerator में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु गैस कूलर, वेन्चुरी स्क्रबर, पैक्ड बैड स्क्रबर, आईडी फैन के साथ [illegible] कार्बन [illegible] एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की ऊंचाई 4 मीटर होगी। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

6. **वृक्षारोपण की स्थिति** – भूमि में कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,250 वर्गमीटर (लगभग 33.33 प्रतिशत) में 325 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया

था। वर्तमान में संशोधन उपरांत कुल क्षेत्रफल में से 1,484.5 वर्गमीटर (लगभग 35.8 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 186 पौधों के लिए राशि 73,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,91,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,74,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 7,28,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु व्यवहारिक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. जनसुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना हेतु पूर्व निर्धारित स्थल खसरा क्रमांक 388 एवं वर्तमान में प्रस्तावित नवीन स्थल खसरा क्रमांक 388/2 के मध्य की दूरी 215 मीटर है। पूर्व निर्धारित स्थल हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 16 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त तथ्यों/दूरी के दृष्टिगत उक्त बेसलाईन डाटा को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समिति सहमत हुई।

8. हाई टेंशन लाईन गुजरने के कारण Induction Plasma Pyrolysis (Electricity based) के स्थान पर "ALFA-THERM Controlled Air Oil Fired (LDO) किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-कोरबा को आवंटित भूमि संबंधी दस्तावेज तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-कोरबा से परियोजना प्रस्तावक को आवंटित भूमि/लीज अनुबंध संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 11/08/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय तहसीलदार कोरबा, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/338/वा./न./2023 कोरबा, दिनांक 23/02/2023 द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 388/2 में से 1 एकड़ जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लेख किया गया।
2. कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/08/रा./2023/20302 कोरबा, दिनांक 24/02/2023 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तहसीलदार कार्यालय, कोरबा के संदर्भित ज्ञापन क्रमांक अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लेख किया गया।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ज्ञापन क्रमांक/एन.एच.एम./बी.एम. डब्लू./2023/2748 कोरबा, दिनांक 24/02/2023 द्वारा मेसर्स डी.एम. टेक्नोलॉजिक प्राइवेट लिमिटेड को कार्यालय, नगर पालिक निगम के संदर्भित पत्रानुसार कार्यालय कोरबा के खसरा क्रमांक में ज्ञापन दस्तावेज संलग्न कर पत्र प्रेषित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा एवं मेसर्स डी.एम. टेक्नोलॉजिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गए अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से जारी टी.ओ.आर. में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई–

1. पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 388, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र के स्थान पर पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 388/2, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र पढ़ा जाए।
2. परियोजना के अंतर्गत इंडक्शन फरनेस [illegible] क्षमता–100 किलोलीटर/[illegible] के स्थान पर [illegible] [illegible] एवं [illegible] क्षमता–100 किलोलीटर/[illegible] पढ़ा जाए।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 388, दिनांक 27/08/2020 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स सुनील स्टील्स (द सुनील ऑफ सुनील री-रोलर्स एण्ड स्टील प्रा. लि.), उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2185)**

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 402807/2022, दिनांक 15/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 380(पार्ट) एवं 380बी, कुल क्षेत्रफल – 1.26 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् एम.एस.इंगोट्स (इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 88,000 टन प्रतिवर्ष तथा री-रोल्ड स्टील क्षमता – 14,000 टन प्रतिवर्ष (री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल) को विस्तारित कर 81,800 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल) हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल निवेश 8.2 करोड़ रूपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 08/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुत प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी. एण्ड एम. सॉल्यूशन की ओर से श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. जल एवं वायु सम्मति –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा री-रोल्ड प्रोडक्ट 14,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. इंगॉट्स 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/01/2023 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/06/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/06/2022 के पैरा 4(B)(iv)] के अनुसार "Self-certified Compliance Report for the latest CTO shall be sufficient if the project proponent applies for expansion within a period of one year from the grant/renewal of CTO. If such application is submitted beyond the period of one year from the grant/renewal of CTO, CCR shall be required for the latest CTO." उल्लेख है। तदानुसार जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

   - समीपस्थ आबादी सिलतरा 380 मीटर, [illegible] नगर 800 मीटर, [illegible] 880 मीटर एवं ई.सी.आई.सी. [illegible] 2.88 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन [illegible] 4.23 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 19.12 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.40 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.88 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लैण्ड यूटिलाइजेशन ब्रेकअप –

S.No.	Particular	Area (Sq.Ft)
1.	Rooftop/ builtup area	54,003
2.	Area under road and paved	9,490
3.	Green belt (41%)	47,109
4.	Open area	4,266
	Total	1,14,868

4. **भूमि संबंधी विवरण** – सीएसआईडीसी द्वारा प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 12,000 वर्गफीट, प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 68,600 वर्गफीट एवं 560(बी), क्षेत्रफल 34,300 वर्गफीट को मेसर्स [illegible] स्टील्स, [illegible] री-रोलर्स एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर के नाम से लीज जारी किया गया है। प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 12,000 वर्गफीट, प्लॉट नं. 560(पार्ट) की लीज वैधता दिनांक 20/05/2061 तक, प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 68,600 वर्गफीट की लीज वैधता दिनांक 31/01/2083 तक एवं 560(बी), क्षेत्रफल 34,300 वर्गफीट की वैधता दिनांक 08/11/2100 तक है।

5. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:-

Product	Facility	Existing Capacity (TPA)	Proposed Production & Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
MS Ingot/ Billets	Induction Furnace with CCM	(2×7T) 15,000 (MS ingot)	Modification of existing (2×7T) to (2×9T) 40,000 (Induction Furnace with CCM)	55,000 (Induction Furnace with CCM i.e. MS ingot/Billet) (2×9T)
Re-rolled steel product	Re-rolling mill with Billet / Ingot Reheating Furnace	14,000	Complete Dismantle the Re-Heating Furnace	Nil
	Re-rolling mill with online hot charging through Induction Furnace of semi finished steel i.e. MS ingot/ Billet	Nil	51,500	51,500

6. रॉ-मटेरियल :-

Material Balance (in TPA)			
For Induction furnace, CCM and in expansion hot charging rolling			
Name of Raw Material	Existing	Proposed	After Proposed Expansion
Sponge Iron	23,040	35,360	58,400
Scrap	4,400	4,400	8,800
Ferro Alloys	180	420	600
Ingot mould	140	0	Nil
Coal	400	0	Nil
Total	28,160	40,180	67,800

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु री-हीटिंग फर्नेस और इण्डक्शन फर्नेस में बैग हाउस एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखी गई है। पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है। क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग हाउस के साथ सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होगा। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। रॉ-मटेरियल को कवर्ड शेड में स्टोर किया जाएगा।

8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था –

S.No	Name of waste	Existing (TPA)	Proposed (TPA)	After Proposed Expansion (TPA)
1.	Mill Scale (IF+RM)	425	1,075	1,500
2.	Slag	2,250	6,000	8,250

3.	End cutting and Miss Rolls	425	1,075	1,500
	Total	3,100	8,150	11,250

प्रतिवर्ष 2 किलोलीटर यूज्ड ऑयल या वेस्ट ऑयल उत्पन्न होगा जिसे अधिकृत रिसाइकलर्स को दिया जाएगा। लीड एसिड बैटरी या यूज्ड बैटरी अधिकृत रिसाइकलर्स को दी जाएगी। इंडक्शन फर्नेस के रि-लाइनिंग से उत्पन्न रिफेक्टरी वेस्ट को रिफेक्टरी इकाइयों को रिसाइकिलिंग के लिए दिया जाएगा। इंडक्शन फर्नेस स्लेग को मेटल रिकवरी यूनिट्स को दिया जाएगा। रोलिंग मिल से उत्पन्न मिल स्केल को पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाएगा। अन्तर्गत एण्ड कटिंग/मिस रोल और मिसकास्ट का इंडक्शन फर्नेस में पुनः उपयोग किया जाएगा।

6. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल स्त्रोत एवं खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 14 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यविस्तार उपरांत परियोजना हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 27 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 44 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से लिया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरान्त प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविस्तार हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यविस्तार उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जाएगी। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविस्तार हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल उपलब्धता 8,832.7 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 8 नग रिचार्ज शाफ्ट (व्यास 1.8 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना

प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के भूगर्भ जलस्रोत को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज पिट्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – कम्पनी द्वारा स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार पश्चात् उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 30 मि.ग्रा./सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 6.728 कि.ग्रा. प्रतिदिन है। प्रस्तावित बैग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मि.ग्रा./सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने के बाद उत्सर्जन की मात्रा 6.728 कि.ग्रा. प्रतिदिन होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग पश्चात प्राप्त दूषित जल को टैंक कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 11,260 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन मार्गदर्शिकानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार पश्चात (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 3.8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप पश्चात परियोजना हेतु 6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की क्षमता सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 87,130 वर्गमीटर (41 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों ओर 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 6 से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् विकास गार्डन/ई-लाइब्रेरी निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाना बताया गया है। साथ ही उक्त के संबंध में भूमि हेतु सीएसआईडीसी से भी बात की जा रही है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य निर्माण हेतु ग्राम पंचायत अथवा सीएसआईडीसी से भूमि प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की क्षमता सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर 40 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हेतु 6 से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. के तहत् सघन वन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत अथवा सीएसआईडीसी से भूमि प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

5. परिसर के भीतर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/उद्योग से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

समिति द्वारा पत्रों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल जल की मात्रा 30 किलोलीटर प्रतिदिन है, जिसमें से सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 9.8 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है तथा शेष 14 किलोलीटर की अनुमति सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

2. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 डी.जी. सेट 125 के.वी.ए. तथा 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थित है।

3. प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर 41 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हेतु 6 से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण किया जाएगा तथा शेष 11.78 प्रतिशत वृक्षारोपण उद्योग के बाहरी क्षेत्र की भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण (पीपल, नीम, करंज, जामुन, अमलतास, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,408 नग पौधों के लिए राशि 1,27,008 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये,

खाद के लिए राशि 10,560 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,88,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,53,560 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,11,084 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् संशोधित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
830.1	2%	16.6	Following activities at nearby Muktidham, Rawabhata	
			Plantation	16.44
			Total	16.44

सी.ई.आर. के अंतर्गत आंवला, नीम, करंज, जामुन, अमलतास, कदम आदि के वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,200 नग पौधों के लिए राशि 2,40,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 24,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,68,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,73,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,70,880 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय नगर पालिक निगम, बीरगांव से सहमति उपरांत मुक्तिधाम स्थल (खसरा क्रमांक 328/22 रकबा 4.047 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। कार्यालय नगर पालिक निगम, बीरगांव के द्वारा दिनांक 28/03/2023 को उक्त हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. परिसर के भीतर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स सुनील स्टील्स (ए यूनिट ऑफ सुनील रि-रोलर्स एण्ड स्टील प्रा. लि.), उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लाट नं. 360(पार्ट) एवं 360सी, कुल क्षेत्रफल - 1.06 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् एम.एस.इंगोट्स (इण्डक्शन

फर्नेस (विद डीआरआई/सीसीएम) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 88,200 टन प्रतिवर्ष तथा रि–रोलिंग मील क्षमता – 14,000 टन प्रतिवर्ष (री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल) को विस्थापित कर 51,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल) हेतु परिशिष्ट–03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स हिर्रीसरकला लाईम स्टोन (माईन्स विभाग) स्वामी (प्रो.–श्री मोहनचंद शर्मा), ग्राम–हिर्रीसरकला, तहसील–पथरिया व जिला–कबीरधाम (परिवेश का नस्ती क्रमांक 2037)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 270818/2022, दिनांक 22/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–हिर्रीसरकला, तहसील–पथरिया, जिला–कबीरधाम स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 366, कुल क्षेत्रफल–0.82 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,967 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहनचंद शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 366, कुल क्षेत्रफल–0.82 हेक्टेयर, क्षमता–3,871 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कबीरधाम द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष अर्थात दिनांक 19/03/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and

subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/03/2023 तक वैध होगी।

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 01/11/2022 को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. निर्धारित कार्यानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 89/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 29/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017–18	2,052.75
2018–19	2,213.75
2019–20	2,098.00
2020–21	1,771.00
2021–22	2,817.50

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन पट्टा क्षेत्र की स्वीकृति के संबंध में ग्राम पंचायत झिरियाखार का दिनांक 12/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **खनन योजना** – प्रोग्रेसिव माइनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 240/2/खनि/पूप्रयोजना/2.ऑ /2022 बिलासपुर, दिनांक 22/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 822/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 23/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 823/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 23/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, नहर, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग,

राजमार्ग, अस्पताल, रेल लाईन, जल आपूर्ति एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की मौकानिरीक्षण सर्वे के पास पर है। लीज डीड दिनांक 06/02/1996 से 16/04/2012 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड 14 वर्ष अर्थात् दिनांक 17/04/2012 से 16/04/2026 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्र. /परियो/2021-22/भा.वि./1366 कवर्धा, दिनांक 18/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 800 मीटर, स्कूल ग्राम-[illegible] 1 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र [illegible] 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। हाफ नदी 5.5 कि.मी. एवं बांध 1.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,13,325 टन, माईनेबल रिजर्व 28,128 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 26,722 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,877 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,137 घनमीटर है, ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (सेफ्टी बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में डम्प स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 530 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,987.5
द्वितीय	3,987.5
तृतीय	3,987.5
चतुर्थ	3,987.5
पंचम	3,987.5

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान की बाउण्ड्री में (400 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवित दर) हेतु राशि	28,000	2,800	2,800	2,800	2,800
	फेंसिंग हेतु राशि	73,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,16,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 6,17,800		2,21,000	99,200	99,200	99,200	99,200

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचारण से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27	2%	0.54	Following activities at Govt. Middle School **Village- Jhiriyakala**	
			Plantation in School	0.78
			Total	**0.78**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, जामुन, कदम, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 4,800 रूपये, ट्री-गार्ड हेतु राशि 12,000 रूपये, खाद के लिए राशि 300 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,100 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 48,840 रूपये हेतु पांचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में 100 नग वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दिनांक 11/11/2022 को किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार

   A. Proposals involving expansion of existing EC:

At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से संपर्क करना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु 10 फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा पाया गया कि माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में लगाये हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है।

4. कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर संरक्षित कर संग्रहित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाए।
2. माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में लगाये हुए पौधों के संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

7. **मेसर्स पेन्डुकिलाई डोलोमाईट क्वारी (प्रो.– श्री नरहर लाल ताम्रकार), ग्राम–पेन्डुकिलाई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 21302)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 288028/2022, दिनांक 16/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पेन्डुकिलाई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/3(पार्ट), 21/4 एवं 471(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.32 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–13,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरहर लाल ताम्रकार, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेन्डुकिलाई का दिनांक 18/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (ख. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 364/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.08/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3669 ए/खलि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 ओपनकास्ट खदान, क्षेत्रफल 1.94 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 8 पूर्व पट्टा खदानें, क्षेत्रफल 5.475 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3668 ए/खलि.लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री [illegible] ताम्रकार के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3228/खनिज/उ.प./2020 दुर्ग, दिनांक 15/12/2020 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 44/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/10/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज, 2015 के नियम 42(6) परंतुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" ऐसा बताया गया है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/3868 दुर्ग, दिनांक 11/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पेन्ड्रीतराई 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–पेन्ड्रीतराई 1 कि.मी. एवं अस्पताल अहिवारा 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राजमार्ग 18 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8 कि.मी. एवं नहर 50 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,88,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,13,488 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,02,148 टन है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

3,187 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,671 घनमीटर है। जिसमें से 1,203 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 468 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र के कुछ भाग में संग्रहित कर भण्डारित किया जाएगा। ढेर की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8.41 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,500	षष्ठम	13,500
द्वितीय	13,500	सप्तम	13,500
तृतीय	13,500	अष्टम	13,500
चतुर्थ	13,500	नवम	5,496
पंचम	13,500		

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में जल की आपूर्ति का स्त्रोत/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 580 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 34,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,15,200 रूपये, खाद के लिए राशि 6,800 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,87,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,41,200 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,40,840 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 4,370 वर्गमीटर क्षेत्र को अक्रिय एवं प्रस्तावित क्रशर हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1	Following activities at Village- Kokadi	

			Plantation in approach village road	6.65
			Total	6.65

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,27,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,63,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,02,000 रूपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत [illegible] के सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान (ग्राम पंचायत [illegible] के अधीन ग्राम [illegible] के पहुंच मार्ग के दोनों ओर, खसरा क्रमांक 272) में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में एवं लेआउट प्लान में ब्लास्टिंग की व्यवस्था के संबंध में उल्लेख नहीं है, परन्तु माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना में लीज क्षेत्र में 4,370 वर्गमीटर क्षेत्र को अतिरिक्त एवं प्रस्तावित खनन हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने का उल्लेख है। अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रतिबंधित क्षेत्र नाला से 100 मीटर की दूरी छोड़कर किये जाने संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से संग्रहित रखे जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गए शर्तों का पालन सुनिश्चित करने एवं ऐसे ना किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज रियायत नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् मान्यताप्राप्त व्यक्तियों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(ई), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर आवास की स्थापना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। यदि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर आवास की स्थापना किया जाना है तो आवास की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए एवं माईनिंग प्लान में संशोधन कर रिपोर्ट की समस्त करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संधारण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्रक दिनांक 16/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में बताया गया कि वर्तमान में लीज क्षेत्र में आवास की स्थापना नहीं की जाएगी। अनुमोदित माईनिंग प्लान में 4,730 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिस पर पूर्व में आवास प्रस्तावित था। वर्तमान में आवास की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है तथा उक्त क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।
3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संधारण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

के प्लांटेशन/(ग्रीनबेल्ट) स्थापित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत संबंधित जिला-खनिज समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3660 ए/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 डोलोमाइट खदान, क्षेत्रफल 1.94 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. सीमा क्षेत्र के भीतर उत्खनन की अनुमति नहीं दिया जाएगा तथा उत्खनन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

3. सीमा क्षेत्र के भीतर 4,730 वर्गमीटर क्षेत्र को नॉन माइनिंग क्षेत्र रखा जाएगा तथा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधियां नहीं की जाए। उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन पाये जाने की स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स [illegible] डोलोमाइट खदान (प्रो.– श्री [illegible]) को ग्राम-[illegible], तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग के खसरा क्रमांक 21/3(पार्ट), 21/4 एवं 47(पार्ट) में स्थित डोलोमाइट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर, क्षमता-13,800 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स [illegible] मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर- श्री प्रमोद अग्रवाल), ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-जांजगीर-चांपा (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 2130)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82430/ 2022, दिनांक 18/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 497, 502, 508 एवं अन्य 26, कुल क्षेत्रफल–4.616 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिवेश रुपये 22.6 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 26/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री [illegible] रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा पाया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल वॉशरी स्थापना हेतु निम्न 3 स्थलों का अध्ययन किया गया–

   i. ग्राम–घोघरा, जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 26'56.61" N, 81° 56'47.20" E

   ii. ग्राम–हथनेवरा, जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 58'4.26" N, 82° 41'43.69" E

   iii. ग्राम–अटर्रा, जियोग्राफिक को–ऑर्डिनेट 21° 56'54.03" N, 81° 59'21.41" E

   उक्त स्थलों का विभिन्न तथ्यों/बिन्दुओं पर अध्ययन उपरांत प्रस्तावित स्थल (ग्राम–हथनेवरा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा) को उपयुक्त पाये जाने पर चयनित किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–हथनेवरा 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन चांपा 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विमानतल, बिलासपुर 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 1.8 कि.मी. एवं जलभराव नाला 500 मीटर दूर है। नहर दक्षिण से लगी हुई है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स [illegible] प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर (11.406 एकड़) है, जिसमें बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर, वाश–कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर, रिजेक्ट्स स्टोरेज का क्षेत्रफल 0.26 हेक्टेयर अन्य फेसिलिटी का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 1.84 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कर संशोधित लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.24 मिलियन टन

प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ-कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ-कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वॉशरी से धावन कोल का परिवहन कन्वेयर के साथ हुये एम.ओ.यू. के आधार पर सड़क मार्ग या रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। समिति का मत है कि अधिकतम धावन कोल का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव ई.आई.ए. रिपोर्ट में समावेश किया जाए।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल अनलोड इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाउस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। प्लांट के चारों ओर जल छिड़काव हेतु आटोमाइज्ड नोजल ऑटोमेटिक सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के चारों ओर ऊँची बाउंड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस-पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 200 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होगी, जिसकी आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया साइक्लोन आधारित वेट प्रोसेस वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप सर्किट सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को आवश्यकतानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) कृषि एवं व्यवसाय उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनश्चक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा लिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रोजेक्ट को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.34 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पेड़ पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 12 से 30 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण का संशोधित ले-आउट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेस लाईन डेटा कलेक्शन का कार्य 20 मार्च 2022 से 20 जून 2022 तक किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत अनुशंसा की गई कि प्रकरण बी–1 श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(b) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी (आइटम–2(b) मिनिरल बेनिफिशियेशन) हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई–

i. Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

ii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

iv. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authourity for use of ground water.

v. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area.

vi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the premises as per guidelines issued from time to time and minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of most of the raw coal, clean coal and reject through rail as far as possible.

viii. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding national highway.

- ix. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding nearest canal / water bodies.
- x. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including adjacent canal.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न [illegible]वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कुल क्षेत्रफल 4.816 हेक्टेयर है जिसमें से कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना है एवं कोल वॉशरी में जल की आवश्यकता अत्यधिक होने के कारण रेन वॉटर पौण्ड के निर्माण हेतु भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होगी तथा कोल वॉशरी क्षेत्र में प्लांटिंग एरिया, स्टोरेज एरिया, ई.टी.पी. एरिया एवं अन्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोल वॉशरी की क्षमता 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 4.816 हेक्टेयर कम है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत समुचित अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 01/03/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, सर्वसम्मति **से निर्णय लिया गया था कि** प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में जानकारी / दस्तावेज एवं संशोधित ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए, ताकि समिति द्वारा अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की [illegible]वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में बताया गया कि वॉशरी क्षेत्रफल 2.13 एकड़, री-जेक्ट, रॉ कोल एवं क्लीन कोल स्टोरेज क्षेत्रफल – 2.8 एकड़, वृक्षारोपण क्षेत्रफल – 4.46 एकड़ (40.47 प्रतिशत), आंतरिक मार्ग एवं स्टाफ क्वार्टर क्षेत्रफल – 1.57 एकड़ एवं अन्य 0.[illegible] एकड़ प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्लांट परिसर के 5 कि.मी. की त्रिज्या में अतिरिक्त 10 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु 1.2 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ले-आउट प्लान सहित प्रस्तुत ग्रीन बेल्ट एरिया स्टेटमेंट अनुसार–

S. No.	Land use	Area in Acre
1.	Washery Plant	2.13
2.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal, Middling & reject	2.54
3.	Other facility (Internal roads, WTP, Staff Quater)	1.57
4.	Green Belt Area	4.45 (40.47% of the Total Area)
5.	Vacant land	0.31
Total		11.00

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. पूर्व में समिति की 443वीं बैठक दिनांक 29/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर सकर्स टी.ओ.आर. जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area. के संबंध पर Project Proponent shall submit a details of plantation accordingly as per the given proposal at the time final EIA presentation चाहा जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़ का नस्ती क्रमांक 703)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 08/02/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक्सपेंशन की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 28/2 एवं 28/1, कुल एरिया 121.40 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेशन राशि 1480 लाख प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में शामिल श्रेणी 2(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (पब्लिक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता-0.72 मिलियन टन/वर्ष के प्लांट हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्संबंध कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमांक दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डॉयरेक्टर एवं मेसर्स [illegible] लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से [illegible], वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक, [illegible] कन्सल्टेंसी के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. जल एवं वायु सम्मति – संयंत्र में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/03/2018 द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की जानकारी निम्नानुसार है–

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Sponge Iron	2,70,000 Tonnes per Annum (Two Lakh Seventy Thousand Tonnes per Annum)
2.	Steel Division	3,31,500 Tonnes per Annum (Three Lakh Thirty one Thousand Five Hundred Tonnes per Annum)
3.	Rolling Mill (3+one additional)	3,84,000 Tonnes per Annum (Three Lakh Eighty Four Thousand Tonnes per Annum)
4.	Waste Heat Recovery Based Power Plant	25 MW (Twenty Five Megawatt)
5.	Coal Based Power Plant	2x30 MW (Two into Thirty Megawatt)
6.	Ferro Alloys Plant	29,400 Tonnes per Annum (Twenty Nine Thousand Four Hundred Tonnes per Annum)
7.	Coal Gasifier Plant	5x8,000 Nm^3/hr (Five into Eight Thousand Nm^3/hr)

8	Oxygen / Nitrogen Gas Plant (One No.)	170 Nm^3 / hr (One Hundred Seventy Nm^3 / hr)

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–मंडार 8 कि.मी. एवं शहर रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मंडार 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 0.88 कि.मी. एवं सोंडरा नाला 1.02 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.80 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 25/08/2005 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **संयंत्र भूमिका क्षेत्रफल** – कुल क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर है, जिसमें से खसरा क्रमांक 16/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/1 के अंतर्गत 0.362 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/2 के अंतर्गत 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर है।

4. **भू-स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एस.के.एस. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **रॉ-मटेरियल** – रॉ-कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष से वाश्ड कोल – 0.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा कोल रिजेक्ट्स – 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। रॉ-कोल एस.ई.सी.एल. / कोल माईन्स के खदानों से आपूर्ति किया जाना है। खदान से वॉशरी तक रॉ-कोल का परिवहन रेल एवं सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वाश्ड कोल का उपयोग स्वयं के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाउस में धूल एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की व्यवस्था की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढंका जाकर बैग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर चिमनी से छोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्वेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

7. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा** – रिजेक्ट कोल 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रिजेक्ट्स का उपयोग स्वयं के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जायेगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – कोल वॉशरी में प्रोसेस हेतु लगभग 72 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेशन उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। इस प्रकार कुल 84 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति खारून नदी से की जाती है, इस हेतु 4.800 घनमीटर प्रतिदिन जल दोहन हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया गया है। यही व्यवस्था कोल वॉशरी के अपनाई जायेगी। वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित (क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था) कोल वॉशरी स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जायेगा। कोल स्लज के रिसाईक्लिंग हेतु व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को आवश्यकतानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.5 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्त्रावण की स्थिति रखी जायेगी।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुनरुपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकासी जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 80 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट परिसर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 700 से 800 नग वृक्षारोपण किया गया था। कोल वॉशरी के चारों तरफ 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2018 से 15 जून 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15 से 26.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 112.6 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8 से 20.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{x}$ 10 से 26.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 61.5 डीबीए से 73.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.3 डीबीए से 61.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 28/11/2020 प्रातः 11:00 बजे स्थान सी.एस.आई.डी.सी. भवन, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर में संपन्न

हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:-

   i. चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। साथ ही काले धुएं के कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित होता है।

   ii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iii. जनसुनवाई रखे जाने की सूचना हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी नहीं कराये जाने के कारण जनता अपनी समस्या रख नहीं पाए।

जनसुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

   i. सीमेंट प्लान्ट इकाई, रोटरी कील्न एवं स्पंज आयरन में प्रभावी एयरपॉल्यूशन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की परिधि में आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है।

   ii. विभिन्न योग्यताओं की योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

   iii. जनसुनवाई के संबंध में जानकारी दी गई थी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु 57.118 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) की गणना की गई है। उक्त गणना का आकलन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं होना बताया गया है, जबकि यह उल्लंघन का प्रकरण है। अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. सीमेंट फैक्टरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा मुख्यालय को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तावित वाटर स्प्रिंकलर व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

4. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार आकलन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल

एवं कम्युनिटी आइसोलेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

5. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।
6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 387वीं बैठक दिनांक 04/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

([illegible]) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 31/08/2021:-

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कम से कम 10-15 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. प्रस्तावित वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का नक्शा सहित विवरण (लंबाई एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही संशोधित रेमिडियल प्लान तथा नेचुरल एवं कम्युनिटी आइसोलेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. कोल वॉशरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु प्रोसेस में लगभग [illegible] घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होना बताया गया है। जल की मात्रा वॉशरी की क्षमता के संदर्भ में कम प्रतीत हो रही है। गणना सहित विस्तृत वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा फ्लोशीट को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का नक्शा सहित विवरण (संख्या एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. Environmental Compensation हेतु की गई गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अवधारण कर संशोधित रेमिडियल प्लान तथा नेचुरल एवम् कम्युनिटी आग्युमेंटेशन प्लान, इन्वायरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. कोल वॉशरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत किया जाए।
6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त मूलभूत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की आगामी बैठक दिनांक 19/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स इंडियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स की ओर से श्री जगमोहन कुमार पंडा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही गई, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा फ्लोशीट को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,19,886 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) एवं 4 नग रिजर्वायर (पोण्ड) क्षमता 4,04,502 घनमीटर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यविस्तार हेतु अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वायर से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

3. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, सोशियो–इकोनॉमिक इम्बैलेंस का आकलन करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 24,23,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रुपये 51,68,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रुपये 27,45,000/–) को आस–पास के क्षेत्रों में सोलर लाइट की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, रैम्प इत्यादि के निर्माण, स्कूल भवनों में प्लांटेशन, टॉयलेट्स के निर्माण, भवन पेंटिंग किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं आंतरिक मार्गों में स्थापित वेब–गन का फोटोग्राफ्स सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. औसत दैनिक क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना वॉटर बैलेंस चार्ट सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना हेतु कुल 294 घनमीटर प्रतिदिन जिसमें से फ्रेशवाटर डिमांड हेतु 90 घनमीटर प्रतिदिन (डोमेस्टिक हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन एवं प्लांटेशन हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) एवं रिसाइकिल्ड वॉटर 204 घनमीटर होगी।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के पश्चात संशोधित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	1%	14.5	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility	5.00
			Plantation	1.65
			Total	**20.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-धरसीवा, ग्राम-कपसदा, ग्राम-खपरीडीह, ग्राम-टांडा एवं नवीन प्राथमिक शाला धरसीवा, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम-धरसीवा, शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम-सिलतरा, राज्य पोषित उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-धरसीवा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-धरसीवा, ग्राम-सिलतरा में किया जाएगा। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. की गणना 2 प्रतिशत की दर से कर कुल राशि 28,00,000/- का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में शालाओं के हरितीकरण का प्रस्ताव शामिल किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

i. Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए। इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाए।

ii. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, उद्यान, हरितीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं पुनर्भरण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं प्रस्तावित खर्चे का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. राशि की गणना 2 प्रतिशत के दर से कर कुल राशि रूपये 28,00,000/- का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

iv. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

v. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2021 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16/08/2021 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ड) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. मेसर्स Chalia Chlorides Pvt. Ltd., district- Solapur, Maharashtra एवं मेसर्स Sree Kartikeya Kamakshwari Industries द्वारा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र को प्रस्तुत Remediation, Community and Resource Augmentation Plan अनुसार गणना की गई है। जिसके अनुसार Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सोशियो-इकोनॉमिक इम्पैक्ट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं

क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रूपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संबंधित प्रभाव रूपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संबंधित प्रभाव रूपये 4,35,000 (कुल–रूपये 51,80,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Environmental Compensation की गणना हेतु (1) खोल सोसाइटी की स्थापना के पश्चात कमी की प्रतिष्ठापन कार्य किया गया, (2) संचालन प्रारंभ पश्चात बिजली आदि के लिए कब–कब संयोजित किया गया, (3) खोल सोसाइटी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की गई है अथवा नहीं? आदि की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से मंगवाया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर Environmental Compensation की गणना की पुष्टि की जाकर Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 10 Nearby Government Schools and Deepening of Pond	
			Rain Water Harvesting System	6.23
			Potable Drinking Water Facility	8.15
			Running Water Facility for Toilets	5.00
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	8.00
			Total	29.03

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खरोरा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खरोरा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–खरोरा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–खरोरा, (5) डॉ. [illegible] उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–[illegible], (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–[illegible], (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–[illegible], (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–[illegible], (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टोका में किया जाएगा। (10) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–खरोरा, ग्राम–[illegible], ग्राम–[illegible] एवं ग्राम–[illegible] को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्यों में

अनुमानित मात्रा अत्यधिक बताया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मदों को शामिल करते हुये सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्संबंध कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रकरण के संबंध में निम्न जानकारी ली जाए:–
   - i. क्या कोक ओवन की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया है?
   - ii. कोक ओवन को कब–कब कितनी अवधि के लिए संचालित किया गया?
   - iii. कोक ओवन का संचालन बन्द करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? साथ ही क्या कोक ओवन के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल / विद्युत विभाग द्वारा की गई है?
   - iv. कोक ओवन वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में विद्युत विच्छेदित है अथवा नहीं? बताया जाए।
2. उपरोक्त निर्देश अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मदों को शामिल करते हुये इसकी उपयुक्त गणना का विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित एवं Environmental Compensation की उपयुक्त गणना उपरांत Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर प्रस्तुतिकरण हेतु आगामी बैठक में ऑनलाईन उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की [illegible]वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक लिमिटेड कम्पनीज के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पायी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित की गई है जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई है:–
   - i. उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय द्वारा पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में कोक ओवन–072 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 को जारी की गई थी। इस संदर्भ में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 08/10/2009 को किया गया था, तत्समय उद्योग द्वारा कोक ओवन 200 टी.पी.एम. का निर्माण कर उत्पादन कार्य आरंभ किया गया था।
   - ii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2079 दिनांक 28/10/2010 के द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा 200 टी.पी.एम. क्षमता की कोक ओवन स्थापित

की गई है। इस कोल वॉशरी के लिये अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त नहीं हुई है। नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना कोल वॉशरी संचालित नहीं की जा सकती है। निरीक्षण पर उद्योग की इस कोल वॉशरी इकाई में विद्युत कनेक्शन पाया गया है। अतः कोल वॉशरी के चलाये जाने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिये कोल वॉशरी इकाई की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को विच्छेदन कर सूचित करें।

iii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2878 दिनांक 28/10/2010 के पालनार्थ कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 481 दिनांक 24/12/2010 के अनुसार कोल वॉशरी प्लांट के लिए स्थापित मेन एल.टी. केबल को दिनांक 08/12/2010 को सील करने तथा तत्संबंध विद्युत विभाग द्वारा स्थल पर बनाये गये पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है।

iv. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा दिनांक 14/09/2021 को किये गये निरीक्षण के दौरान कोल वॉशरी बंद पाई गई तथा कोल वॉशरी के इलेक्ट्रिकल पैनल सील पाये गये।

उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से बताया गया कि कोल वॉशरी के स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। कोल वॉशरी हेतु स्थापना सम्मति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय से पत्र क्रमांक 3236, दिनांक 02/08/2007 जारी किया गया था व उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2878, दिनांक 28/10/2010 के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का विच्छेदन करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद उद्योग द्वारा स्वतः ही विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 08/12/2010 को क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2878 दिनांक 28/10/2010 के निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित कोल वॉशरी का निरीक्षण कर उद्योग बंद स्थिति में पाया व संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिकल सील किया। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार व विद्युत विभाग की कार्यवाही विद्युत विच्छेदन के बाद से अब तक कोल वॉशरी पूर्णतः बंद है व अब जर्जर अवस्था में है। पर्यावरणीय स्वीकृति व संचालन सम्मति मिलने तक कोल वॉशरी में कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मद्दों को शामिल करते हुये निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 14 Nearby Government Schools, 01 Govt. Hospital and Deepening of 04	

			Village's Pond.	
			Rain Water Harvesting System	13.5
			Potable Drinking Water Facility	2.56
			Running Water Facility for Toilets	2.5
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	29.21

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खरीदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला केन्द्र ग्राम–खरीदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–खरीदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–खरीदा, (5) दाऊ जोगनलाल उत्तर माध्यमिक शाला ग्राम–परसदाडीह, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–सिलयारी, (7) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–सिलयारी (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कनसदा, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनसीहा, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टोका (11) शासकीय प्राथमिक शाला बरतनगर (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कुर्रा (13) शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला ग्राम–कुरेटी (14) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनसीहा नवा (15) शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–धनसीहा में किया जायेगा। (16) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–खरीदा, ग्राम–सिलयारी, ग्राम–परसदाडीह एवं ग्राम–धनसीहा को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Ecological Damage, Remedition Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan की गणना हेतु निर्माण के दौरान पानी का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो–इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का समावेश करते हुए रेमिडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रूपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 27,90,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 6,60,000 (कुल–रूपये 62,75,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्लान के तहत् परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन, आंगन बाड़ी में शौचालय पानी की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, स्कूल भवनों में वृक्षारोपण, जागरूकता कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप आदि किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

4. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/60/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 6[th] conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2019" के अनुसार Environmental Compensation हेतु निर्धारित फार्मूला EC=PIxNxRxSxLF (EC - Environmental compensation in Rs, PI - Pollution Index of Industrial Sector, N - Number of days of violation took place, R - a Factor in Rs. For EC, S - Factor for scale

of operation LF - Location Factor) अथवा न्यूनतम 5,000 रूपये प्रति दिन का आकलन किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रूपये प्रति दिन के आधार पर स्थापना सम्मति दिनांक 02/08/2007 एवं एस.टी. बेकर सीज दिनांक 08/12/2010 के मध्य की अवधि को संज्ञान में लेते हुये कुल उल्लंघन दिवस 1,254 मान्य किया गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 62,70,000/- रूपये (5000 X 1254) होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा Ecological Damage, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु राशि 62,75,000/- रूपये की गणना कर प्रस्तुत की गई है। उक्त के संदर्भ में समिति सर्वमत रही कि सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ के माध्यम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईंटों वाली सड़क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/- रूपये का व्यय किया जाए। इस आशय हेतु उक्त राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईंटों वाली सड़क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर स्प्रिंकलर, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौन्दर्यीकरण एवं प्राकृतिक जल निकास हेतु वाटर ड्रेनेज निर्माण हेतु राशि 62,75,000/- रूपये का विस्तृत प्रस्ताव सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर 02 माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय अनुशंसा में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 18/1, 26/1, 29/2 एवं 28/1 में स्थित स्पंज आयरन क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईंटों वाली निर्माण हेतु राशि 62,75,000/- रूपये का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह में प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/- रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/- रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त बैंक गारंटी की वैध रिवाइज कार्य पूर्ण होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक होगी। बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत् विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/10/2021 एवं 16/11/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा शर्तों/दस्तावेज का अवलोकन कर नोट किया गया:–

1. मेसर्स एस.बी.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1 में स्थित कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रूपये का विस्तृत प्रस्ताव आज दिनांक तक अप्राप्त है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किया जाना बताया गया है। उक्त बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/11/2021 द्वारा किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2023 तक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर" में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्थान पर **"कुल एरिया 77.18 हेक्टेयर (190.76 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर"** में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारियाँ एवं समिति द्वारा किये गये पत्राचारों एवं जारी टी.ओ.आर. में कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर का उल्लेख किया जाना पाया गया है।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् सावधानी से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक से सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के ग्रीन पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौंदर्यीकरण एवं प्रदूषित धूल नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु राशि 62,75,000/– रूपये का विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव मंगाया जाए।

उपरोक्त तथ्यों तथा प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ग्रीन पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौंदर्यीकरण एवं प्रदूषित धूल नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् सावधानी से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(द) समिति की आठवीं बैठक दिनांक 14/02/2022

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा जो तथ्यों को संज्ञान में लिया जाकर परियोजना प्रस्तावक से जानकारियां चाही गई थी, उसके संबंध में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। भूमि संबंधी अभिलेख पूर्ण नहीं है एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों का पुनः परीक्षण आवश्यक है। कोल वॉशरी की संचालन सम्मति कब स्वीकृत हुई, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। संचालन सम्मति के पश्चात् कितना मीट्रिक टन कोयले कब से कब तक वॉश किया गया एवं उससे कितना उत्पादन हुआ? इस दौरान पर्यावरण की कितनी क्षति हुई विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। विद्युत विच्छेदन कब किया गया? वर्तमान में कोल वॉशरी संचालित है अथवा नहीं? कोल वॉशरी को बंद करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कब कार्यवाही की गई।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय क्षति का नई विधि से मूल्यांकन कर प्रस्तुत किया जाए।
3. प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों तथा सी.एस. आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर स्प्रिंकलर, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं धूलिकणीय उत्सर्जन नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलरों की स्थापना हेतु विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना के कुल विनियोग का चरणवार ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 41वीं बैठक दिनांक 30/06/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. सुरेश, जनरल मैनेजर एवं श्री सुब्रत कांत, इन्वायरमेंट मैनेजर तथा मेसर्स एनवायरो इंफोटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत डी. वाकोडे, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ईको पार्क निर्माण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 517/1, 518/1, 518/2, 519, 520/1, 520/2, 524/1, 531/1, 532/1, 532/2 एवं 532/3 में जनरल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.वि.नि./वन/2022/5086 रायपुर, दिनांक 25/01/2022 के अनुसार ईको पार्क निर्माण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है:-

वर्ष एवं कार्य	राशि
फेंसिंग व्यय	5,26,599
प्रथम वर्ष (क्षेत्र सफाई, पहुंचमार्ग कार्य, गड्ढा खुदाई, मिट्टी भराई, पौधरोपण व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	29,72,830

द्वितीय वर्ष (वृक्ष पौधा परिवहन कार्य, रोपणी व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, निंदाई कार्य, सुरक्षा रख–रखाव, आदि)	10,46,873
तृतीय वर्ष (निंदाई कार्य, सिंचाई, सुरक्षा रख–रखाव, आदि)	9,27,129
चतुर्थ वर्ष (सुरक्षा रख–रखाव, आदि)	4,50,408
चौकीदार हट का निर्माण	25,200
प्रचार निर्माण कार्य, चेतन लगाना	3,09,379
कुल	62,75,000

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत ले–आउट प्लान में वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण लगाया जाना बताया गया है। समिति का मत कि वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.828 हेक्टेयर है। समिति द्वारा उक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज में ग्राम–सिलतरा एवं ग्राम–मुंढ़ेरी का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल ग्राम पंचायत सिलतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत कि ग्राम पंचायत मुंढ़ेरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. समिति द्वारा पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूल में अतिरिक्त हैण्ड लाईब्रेरी निर्माण कराने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत के पृथक–पृथक इकाई सहित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में किये गए वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का नाम, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.828 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम पंचायत मुंढ़ेरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा वसूली में अतिरिक्त ईको लाईसेंसी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि कंपनी का उत्पादन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(5) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 31/08/2022

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई सहित वृक्षारोपण हेतु परिसर में किये गए वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई परिसर के भीतर कुल भूमि 190.78 एकड़ में स्थित है। वर्ष 2020 में कराये गये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उद्योग परिसर के भीतर कुल क्षेत्रफल के 64.84 एकड़ क्षेत्र में (लगभग 33 प्रतिशत) वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा वर्ष 2020–21 से वर्ष 2022–23 तक 3 वर्षों में लगभग 8 एकड़ भूमि में (5 एकड़ रिक्त स्थान एवं 3 एकड़ में गैप फिलिंग) सहित लगभग 10,000 नग वृक्षारोपण का कार्य कराया जा चुका है, जिसके अनुसार कुल भूमि 190.78 एकड़ में से 72.84 एकड़ (38.18 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी मानसून वर्ष 2023–24 तक (40 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

2. पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का नाम, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

Tree Sapling Location	Number of Plants
2020-21 to 2021-22	
Gate No. 4 & 5 gap filling	800
Near Gate No. 4 garden side	1,200
Gap filling in Plant premises	3,000
Near fly ash silo no. 5 & 6 plant boundary side	500
Road side gap filling between Gate No.1 to coal yard & Gate No. 4 & 5 road side (work in under progress)	1,000
Near rolling mill & dispatch yard	250
out side the premises of Maha-abhiyan Program	1,000
2022-23	
Near Gate No. 5	1,200

Near SMS cooling tower plant garden	600

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कॉमन बाउंड्री का क्षेत्र 2.626 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि प्रोजेक्ट साइट की स्थापना ग्राम–सिलतरा की अधिग्रहित भूमि में किया जाना है। इस कारण ग्राम पंचायत सिलतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संबंध में समिति का मत है कि यह परियोजना ग्राम–चुरेठी के अंतर्गत भी आता है। अतः ग्राम पंचायत चुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. उद्योग द्वारा पूर्व में सी.ई.आर. के अंतर्गत 29 लाख रूपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। परंतु प्रस्तुतीकरण के दौरान कम से कम 3 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके लिए उद्योग द्वारा 3 लाख रूपये अतिरिक्त व्यय करने का निर्णय लिया है। साथ ही स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण हेतु एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों में जागरूकता हेतु अतिरिक्त 1 लाख रूपये व्यय किया जाएगा। इस प्रकार सी.ई.आर. के अंतर्गत कुल 33 लाख रूपये व्यय किया जाएगा। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at, 14 Government Hospitals, School & 1 Village Pond	
			Rain Water Harvesting	15.525
			Potable Drinking Water Facility	2.944
			Running Water Facility for Toilets	2.875
			Plantation with fencing	1.897
			Total	23.241
			Development of Environmental Library	4.152
			Grand Total	27.393

सी.ई.आर. के अंतर्गत कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने का लेख किया गया है, जबकि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव में

27.383 लाख रूपये का ही प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि हेतु कंपनी का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. समिति द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कुल आवेदन में दर्शित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विस्तार इस स्टेज में मान्य योग्य नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

i. कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से लीज खदानों का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

ii. ग्राम पंचायत कुटेली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत् कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/11/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ii) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

समिति द्वारा उक्त प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्बन्धित की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर में स्टोन माईनिंग क्षमता 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से लीज खदानों का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) परियोजना क्षेत्र का खसरावार विवरण को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. ग्राम पंचायत मुंगेली का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोलवाशरी की स्थापना ग्राम–सिलतरा में अधिग्रहीत भूमि खसरा क्रमांक 16/1, 28/1, 28/2 एवं 28/1 कुल रकबा 2.828 हेक्टेयर में होती है जो भी ग्राम पंचायत सिलतरा के अंतर्गत आता है, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है। अतः ग्राम पंचायत मुंगेली के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

iii. सी.ई.आर. के तहत् कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव सी.पी.आर. प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

iv. कोल वॉशरी की स्थापना अधिग्रहीत भूमि पर है। अतः प्लांट एवं मशीनरी का कुल विनियोजन 14.5 करोड़ रूपये है। वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना के कुल विनियोजन 14.5 करोड़ रूपये का पार्टवार ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

क्र.	सामग्री	कीमत (करोड़)
1.	भूमि	शून्य
2.	प्लांट एवं मशीनरी	9.5
3.	भवन एवं संरचनाएं	2.4
4.	Misc. fixed assets	2.6
कुल		14.5

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है–

  Penalty provisions for violation cases and applications:

  Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

  उक्त के संदर्भ में लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17/02/2021 को किये गये ऑनलाईन आवेदन में परियोजना का कुल लागत 14.50 करोड़ उल्लेखित है।

- पूर्व में समिति की 399वीं बैठक दिनांक 14/09/2021 में स्थापना सम्मति दिनांक 02/08/2007 एवं एन.टी. बेंच आदेश दिनांक 08/12/2010 के मध्य की अवधि को उल्लंघन में होते हुये कुल उत्पादन टि.टन 1.294 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 आता है।

  साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित टर्न ओवर निम्नानुसार है–

क्र.	वर्ष	टर्न ओवर (रूपये लाख में)
1.	2007–08	1,02,398.03
2.	2008–09	88,618.42

3.	2009–10	99,289.63
4.	2010–11	97,632.13
कुल टर्न ओवर (उल्लंघन अवधि वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11)		3,93,136.21

- उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार कुल लागत 14.50 करोड़ का 1 प्रतिशत लिये जाने पर 14.50 लाख रूपये तथा कुल टर्न ओवर 3,93,136.21 लाख रूपये का 0.25 प्रतिशत लिये जाने पर 982.84 लाख रूपये होता है।

- इस प्रकार कुल अर्थदण्ड – 14.50 लाख रूपये + 982.84 लाख रूपये = 997.34 लाख रूपये होता है।

  माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019 दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulations such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc."

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड राशि रूपये = 997.34 लाख रूपये का प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त राशि को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) परियोजना क्षेत्र का खसरावार विवरण को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार अर्थदण्ड राशि रूपये = 997.34 लाख रूपये का प्लान तैयार किया जाए। साथ ही उक्त अर्थदण्ड राशि को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 31/03/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(बी) समिति की आगामी बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में कुल क्षेत्रफल 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) भूमिगत उल्लेख की गया था। वास्तव में उद्योग का कुल क्षेत्रफल 77.18 हेक्टेयर (190.76 एकड़) है। कुल एरिया 77.18 हेक्टेयर (190.76 एकड़) परियोजना क्षेत्र का खसरावार विवरण को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से मूल आवेदन एवं प्रस्तुत प्रस्तुत प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित

के दौरान प्रस्तुत जानकारियों एवं समिति द्वारा किये गये पत्राचारों एवं उक्त टी.ओ.आर. में कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर का उल्लेख है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त जानकारी हेतु शर्त ओखन के अनुसार आवेदन जमा किया गया है। प्रस्तावित कोल वॉशरी का उत्पादन नहीं किया गया है। अतः शर्त ओखन शून्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/12/2010 को किये गये पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें स्थापित पेन आइडेंटिफिकेशन का स्थिति पायी जाने का लेख है। समिति द्वारा पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 08/10/2008 को किये गये निरीक्षण में कोल वॉशरी का उत्पादन किये जाने का लेख है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28/10/2010 के पत्रानुसार कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 24/12/2010 के अनुसार कोल वॉशरी के लिए स्थापित पेन आइडेंटिफिकेशन को दिनांक 08/12/2010 को सील करने तथा पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई थी। उक्त से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 28/10/2010 के अनुसार ही बंद किया गया था। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल वॉशरी का संचालन किया गया था। समिति का मत है कि एसओपीअनुसार अधिरोपित राशि रूपये = 887.34 लाख रूपये का भुगतान किया जाए। साथ ही उक्त अधिरोपित राशि को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिए गये विवरण अनुसार अधिरोपित राशि रूपये = 887.34 लाख रूपये का भुगतान किया जाए तथा उक्त अधिरोपित राशि को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स शिवम हाईटेक स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.– श्री सुभाषचंद्र पुनासी), लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, हथखोज, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़ का नस्ती क्रमांक 1845)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/242274/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईट इण्डस्ट्रियल एरिया, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग, प्लाट नंबर – 4, 4/बी, 3/ई, 4/सी एवं 3 आदि, कुल क्षेत्रफल

– 44,434.48 वर्गमीटर, पेंट उत्पादन क्षमता–1,440 किलोलीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना हेतु निवेशित की कुल लागत 142.78 लाख होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 25/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज खेतावत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/07/2018 द्वारा फेरो एलॉय क्षमता – 3,600 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फेरो एलॉय क्षमता – 3,600 टन प्रतिवर्ष एवं इण्डस्ट्रियल एण्ड डेकोरेटिव पेंट क्षमता–14,40,000 लीटर प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/02/2022 को जारी की गई है, जो दिनांक 08/03/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर स्थापित परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का क्षमता विस्तार एवं प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन नहीं किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा इण्डस्ट्रियल एण्ड डेकोरेटिव पेंट क्षमता–14,40,000 लीटर प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति भी प्राप्त किया गया है। अतः उद्योग में स्थापित पेंट उत्पादन इंटीग्रेटेड इकाई नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. पेंट उत्पादन का प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि गतिविधियों का परीक्षण किया जा सके।

6. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति है अथवा नहीं? के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि

1. पेंट उत्पादन इंटीग्रेटेड इकाई नहीं है, इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पेंट उत्पादन का प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया जाए।

3. मशीनरीज का परीक्षण किये जाने हेतु विभिन्न कार्यो की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं? के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने बाबत् पत्र लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/08/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 11/08/2022

समिति द्वारा पी.पी. द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पैट उत्पादन इंटिग्रेटेड इकाई नहीं है, इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. पैट उत्पादन का प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया गया है।

3. मशीनरीज का परीक्षण किये जाने हेतु विभिन्न कार्यो की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं? के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली से प्रस्तावित पैट उत्पादन ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं? के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पैट उत्पादन इंटिग्रेटेड इकाई नहीं है, इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली से प्रस्तावित पैट उत्पादन ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं? के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र लेख किया जाए।

11. मेसर्स [illegible] मिट्टी ईंट प्लांट (ईंट) – श्री सुभाष चन्द्र साहू, ग्राम–[illegible], तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया ([illegible])

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 247313/2021, दिनांक 28/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ईंट निर्माण) खदान है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56, कुल क्षेत्रफल–0.89 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सुभाष चन्द्र साहू, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा मानी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 31/53, 31/55 एवं 31/56, कुल क्षेत्रफल – 0.89 हेक्टेयर, क्षमता – 750 घनमीटर (ईंट उत्पादन 5,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अपूर्ण प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित मापदंडानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /1601/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2017	3,21,000
2018	5,00,000
2019	5,00,000
2020	4,50,000
2021	3,60,000

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में केवल ईंटों की संख्या का उल्लेख है, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विगत वर्षों में कितनी मात्रा में मिट्टी उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज

खनन) के विगत वर्षों में किये गये डिस्ट्रिक्ट उत्खनन की मात्रा की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

2. **नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया का दिनांक 27/02/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खदानी प्लान एवं खदानी क्लोजर प्लान एवं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 14/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1602/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1603/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 18/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेलवे लाईन, सड़क, तालाब, स्कूल, मंदिर, मस्जिद एवं अस्पताल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री सुभाष चन्द्र साहू के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु की थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2034 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./168 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/02/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–... 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–... 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 17,600 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 6,325 घनमीटर है। वर्तमान में माईनेबल रिजर्व 5,123 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी

सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 390 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.12 हेक्टेयर में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	750	5,00,000
द्वितीय	750	5,00,000
तृतीय	750	5,00,000
चतुर्थ	750	5,00,000
पंचम	750	5,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 170 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at Village- Tahvapara	
			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	2.24

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (पीपल, बड़, बरगद, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,24,100 रूपये, 5 वर्ष हेतु वार्षिक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत तहवापारा की सहमति उपरांत पवित्र वन स्थल (खसरा क्रमांक 51/2, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. नीयत सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. जिग-जैग किलन के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।
7. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे उत्सर्जित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ईंट निर्माण हेतु स्थापित किलन चिमनी की ऊंचाई संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त की पुष्टि हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 14/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक./1468 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.41 कि.मी. की दूरी पर है।
5. भूमि खसरा क्रमांक 31/83, 31/95 एवं 31/98 की स्वीकृत [illegible] एवं [illegible] के नाम पर है। उत्खनन हेतु भी [illegible] का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. जिग-जैग किलन के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 1 टन कोयले की आवश्यकता होगी। समिति द्वारा पाया गया कि उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है। अतः कोयले की आवश्यकता एवं उसकी उचित सप्लाई ट्रेल के संबंध जानकारी प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग के संधारण में किया जाएगा। ईंट क्षेत्र के भीतर फिक्स्ड चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर स्थापित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पालन प्रतिवेदन मंगाया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु भी संबंधित ग्राम सभा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. कोयले की आवश्यकता एवं उसकी उचित सप्लाई ट्रेल के संबंध जानकारी प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स मुक्तियारपारा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती बीना सिंह), ग्राम–मुक्तियारपारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (अभिलेख का नस्ती क्रमांक 1893)

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 266682/ 2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुक्तियारपारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक – 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में है। खदान की अधिकतम साधारण पत्थर उत्खनन क्षमता – 12,000 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपाल सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में खातेदारी पत्थर खनन पट्टा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हैक्टेयर, क्षमता – 12,074 टन (4,471.85 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोटा द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. निर्धारित शर्तानुसार 880 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है।

   v. कार्यालय खनि अभियन्ता (खनि शाखा), जिला–कोटा के पत्र क्रमांक/1048/खनि/ए.ए./2021 कोटा, [illegible], दिनांक 14/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	632
2018	447
2019	390
2020	542

   समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्ष 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्पादन की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 20/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्षमता की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड क्वारी प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2188/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1049/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती [illegible] के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2012 से 04/01/2017 तक की अवधि हेतु की थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2017 से दिनांक 04/01/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2008/288 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/08/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना आवश्यक है तथा आगामी वर्षों की संशोधित उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग प्लान में 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 500 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 600 मीटर एवं अस्पताल चिरमिरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राजमार्ग 4.8 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 120 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,26,481 टन, माईनेबल रिजर्व 5,12,643 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,87,061 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,880 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाना

है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है, जिसमें से 18 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,828 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 42 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। लीज क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,073
द्वितीय	12,089
तृतीय	12,089
चतुर्थ	12,089
पंचम	12,089

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,41,450 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,37,450 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,44,000 रूपये आगामी चार वर्ष हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,828 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में 1 मीटर ऊंचाई तक फैलाकर वृक्षारोपण करने उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण के लिए किया जाना बताया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा। अतः ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsability) का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।

4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाए तथा आगामी वर्षों की संशोधित उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग प्लान में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना से भिन्न-भिन्न खदानों के समुच्चित क्लस्टर उत्खननीय होगा, उन खदानों पर निर्धारित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज रियायत नियम (Minerals Concession Rules) के तहत् बाउण्ड्री पिलरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/11/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त

कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 28/12/2022 को आवेदन किया गया है।

2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. खदान की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 17/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की स्वीकृत उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग प्लॉन में 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,225 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को [illegible] का भंडार रखते हुये लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी 4,880 वर्गमीटर क्षेत्र (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जायगा।

6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण का विस्तृत प्रस्ताव निजी भूमि में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थानों में धूलीय उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउन्ड्री पिलरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का पंचवर्षीय व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दिनांक 30/01/2023 को किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार

   At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से संपादित कराना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/22/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 12/04/2023

द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2020-21	730
2021-22	580
2022-23	290
कुल	1,600

समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत दिनांक 08/01/2023 के उपरांत उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित उत्खनन जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में (अमरूद, नीम एवं आम्र) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 46,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 85,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,61,000 रूपये के व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि 5 वर्षों हेतु पृथक-पृथक वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत दिनांक 08/01/2023 के उपरांत उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित उत्खनन जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में (अमरूद, नीम एवं आम्र) वृक्षारोपण हेतु 5 वर्षों के लिए पृथक-पृथक वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र प्रेषित किया जाए।

13. मेसर्स पाण्डरवाडा स्टोन माईन (प्रो.- श्री [illegible]), ग्राम-पाण्डरवाडा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 1873)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/248804/2021, दिनांक 17/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (नॉन कोलियरी) है। यह खदान ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 75, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन [illegible] नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षमता – 83,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 25/05/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible] ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान फार्म–1, फार्म–1एम, प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 83,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है तथा फार्म–2 एवं माईनिंग प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 88,000 घनमीटर (1,88,800 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के [illegible] में एनीकट स्थित होने के कारण न्यूनतम 500 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन क्षमता 88,000 घनमीटर (1,88,800 टन) प्रतिवर्ष के स्थान पर क्षमता 83,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त में सुधार कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। रेत उत्खनन क्षमता हेतु फार्म–2 में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 131/खलि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/01/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन निरंक है।
4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 02/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. **विवादित/लंबितकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विवादित/लंबितकित नहीं घोषित है।
6. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (माईनिंग प्लान इन्क्लूडिंग प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3969/खनि 02/रेत/सर्वे.ए.फो.अनु./न.क्र. 03/2020 नवा रायपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
7. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/खलि.01/2022 राजनांदगांव

दिनांक 19/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य लीज खदानों की संख्या निरंक है।

8. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजसमंद के ज्ञापन क्रमांक 132/खनि/का/2022 राजसमंद, दिनांक 19/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्मशान एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

9. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. की प्रति संलग्न की गयी है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजसमंद के ज्ञापन क्रमांक 4207/खनि. 08/2019 राजसमंद, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक, सोसायटी तथा खनिकर्म, राज. जयपुर आदेश पत्र के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 115/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 10/01/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, आशय पत्र की अवधि में पारित आदेश दिनांक से पर्यावरण सम्मति प्राप्ति पश्चात अनुज्ञा निष्पादन किये जाने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए, प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला राजसमंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।**" होना बताया गया है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनसंरक्षक अधिकारी, राजसमंद वनमण्डल, जिला–राजसमंद के ज्ञापन क्रमांक/एफ.ओ./एन.ओ. 10–1/2021/1418 राजसमंद, दिनांक 14/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 18.27 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

12. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कालकरावता 550 मीटर, स्कूल ग्राम–कालकरावता 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजसमंद 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। स्वीकृत लीज खदान के 1 कि.मी. तक कुआ स्थित नहीं है। खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट 280 मीटर की दूरी पर स्थित है।

13. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

14. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 310 मीटर, न्यूनतम 208 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 545 मीटर एवं खनन स्थल की औसत चौड़ाई – 80 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 26 मीटर है।

15. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई –2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 30,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/03/2020 को रेत स्तर के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि उक्त लेवल्स (Levels) केवल उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सितम्बर में चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, Village- Dhamansara	
			Plantation at river bank near allotted area (500 meter) and the approach road (300 meter)	1.03
			Total	1.03

18. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 31,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,03,000 रूपये हेतु पटवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – खदान से एनीकट 290 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नवीन गाइडलाईन अनुसार एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 210 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तदनुसार संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार

28,000 घनमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के आंशिक 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एनीकट की तरफ से खदान में 210 मीटर की लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र रखने के पश्चात् नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 26 मीटर है। समिति का मत है कि नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान ([illegible] सैण्ड माईन) एवं [illegible] सैण्ड माईन के मध्य 100 मीटर की दूरी है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. रेत उत्खनन क्षमता हेतु संशोधित फार्म–2 प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर, उन्हें क्षेत्रीय निरीक्षण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, क्षेत्रीय निरीक्षण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
6. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/01/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. रेत उत्खनन क्षमता हेतु फार्म–2 में संशोधन कराये जाने की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित कुल क्षेत्रफल – 4.8 हेक्टेयर में से खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट स्थित होने के कारण न्यूनतम 320 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के आंशिक 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में करने के कारण रेत उत्खनन क्षमता 88,000 घनमीटर

(1,80,600 टन) प्रतिवर्ष के स्थान पर क्रमशः 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष होगा। जिसका उल्लेख संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है।

2. प्रस्तावित खदान क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में खनन क्षेत्र की औसत लम्बाई 345 मीटर, नॉन माइनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन क्षेत्र की औसत लम्बाई 313 मीटर एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में खनन क्षेत्र की औसत चौड़ाई 80 मीटर, नॉन माइनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन क्षेत्र की औसत चौड़ाई 80 मीटर है। [illegible] का गया है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर की लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर, उन्हें स्थलीय निरीक्षण के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

4. नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, स्थलीय निरीक्षण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रस्ताव के स्थान पर पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. (C.E.R.) के प्रस्ताव (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर वृक्षारोपण) का ही निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby Village- Dhamaneera	
			Plantation at river bank near allotted area (800 meter) and the approach road (200 meter)	2.18
			Total	2.18

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (अमरूद, नीम एवं आम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 14,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि

10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये आदि इस प्रकार कुल राशि 83,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,68,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तत्संबंध एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 37 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 270 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 26 मीटर है।
2. सी.ई.आर. के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt. Higher Secondary School Village-Dhamansara	
			Rain Water Harvesting	0.40
			Running Water Arragement in Toilets	0.35

			Plantation in the School premises	1,495
			Total	2,345

सी.ई.आर. की राशि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए प्रथम वर्ष में राशि 40,000 रूपये तथा आगामी वर्ष हेतु राशि 1,00,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सी.ई.आर. की राशि प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोजेक्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे भारी वाहन की श्रेणी में है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगे, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, जलीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े सदस्य सचिव एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जावेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत खदान के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत खदान के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत खदान के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स [illegible] सैण्ड माईन (प्रो.– श्री [illegible]), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 79, ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्रफल 4.2 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–05** में दर्शित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 50 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स [illegible] सैण्ड माईन (प्रो.– श्री [illegible]), ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–दुर्ग (अभिलेख का नस्ती क्रमांक 2261)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 413668/2023, दिनांक 08/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (लीज स्वीकृत) है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 502, कुल क्षेत्रफल–4.666 हेक्टेयर में है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाता है। खदान की प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षमता–46,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 28/02/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जे.के. सेन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 902, कुल क्षेत्रफल–4.856 हेक्टेयर, क्षमता–44,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15/08/2020 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 2 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/08/2022 वर्ष के लिए वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2023 तक वैध होगी।

   लीज की वैधता दिनांक 28/10/2022 से दिनांक 31/03/2023 तक की अवधि हेतु है। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य दिया है–

   "(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से लिए जाएगी।"

   उक्त अधिसूचना के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता लीज अवधि तक मान्य होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित कार्ययोजनानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1820/खनि.लि./खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 23/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2020-21	1,932
2021-22	15,768
2022-23 (दिनांक 31/01/2023 तक)	1,298

समिति का मत है कि दिनांक 01/02/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 28/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित एवं घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – [illegible] प्रस्तुत किया गया है जो उप-संचालक, खनिज प्रशासन, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1028/खनि. अनु.-01/2021 दुर्ग, दिनांक 04/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 992/ख.लि.2/खनिज/रेत खदान/2022 दुर्ग, दिनांक 02/11/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अंतर्गत अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 992/ख.लि.2/खनिज/रेत खदान/2022 दुर्ग, दिनांक 02/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **लीज़ डीड का विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 818/ख.लि./खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 22/08/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार "[illegible] रेत का उत्खनिपट्टा दिनांक 28/10/2020 से दिनांक 28/10/2022 तक दो वर्ष अवधि के लिए स्वीकृत है। तत्पश्चात् उक्त [illegible] रेत के उत्खनन पट्टा का अवधि विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के प्रावधानों के आधार पर दिनांक 28/10/2022 से दिनांक 31/03/2023 तक के लिए किया गया है। यदि उक्त पट्टे का दिनांक 01/04/2023 से दिनांक 28/10/2023 तक के लिए अवधि विस्तारित कराना चाहते हैं, तो अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति समयावधि में कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे तत्पश्चात् अवधि विस्तार की कार्यवाही की जा सके" का उल्लेख है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सैदपुरकेडी 450 मीटर, स्कूल ग्राम–सैदपुरकेडी 660 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–सैदपुरकेडी 3.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है।

10. **इकोसेंसिटिव/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, इकोसेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 250 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर दर्शाई गई है। खनन स्थल की अधिकतम व न्यूनतम लंबाई तथा खदान की नदी तट के किनारे से अधिकतम व न्यूनतम दूरी की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 88,980 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत परत की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, ग्राम पंचायत से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 14/02/2020, प्री–मानसून डाटा दिनांक 08/06/2021 एवं पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 07/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। प्रस्तुत रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर जानकारी/दस्तावेज खनिज विभाग से प्रमाणित नहीं है। समिति का मत है कि रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर जानकारी/दस्तावेज खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी रिपोर्ट, 2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पोस्ट–मानसून उपरांत 48,980 घनमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई तक रेत का पुनर्भरण होना बताया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–सैदपुरकेडी के तालाब के चारों ओर 200 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (प्रस्तावित तालाब का खसरा क्रमांक एवं लोकेशन सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्याप्त बजट एवं

रखरखाव व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में राष्ट्रीय राजमार्ग 1.12 कि.मी. दूर होना बताया गया, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान ही के.एम.एल. में लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 860 मीटर पाया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining January, 2020 के अनुसार "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides" है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 कि.मी. की दूरी तक के क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार निर्देश दिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/03/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर से 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर रेत स्तर से लिये गये लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान स्थल की अधिकतम व न्यूनतम ऊंचाई तथा खदान की नदी तट के किनारे से लीज क्षेत्र की अधिकतम व न्यूनतम दूरी की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
6. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining January, 2020 के अनुसार "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways" के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 कि.मी. की दूरी तक के क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत से [illegible] तालाब का खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए सहमति उपरांत उपयुक्त स्थान में वृक्षारोपण हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पूंजीगत एवं रखरखाव व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित मानदंडानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. नदी तट एवं पहुंच मार्ग में वेल प्लेस्ड रोपित कर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की आगामी बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार गांव के स्कूल परिसर में 200 नग, नदीतट पर लगभग 1,300 नग वृक्षारोपण किया गया है। अन्य शर्तों का भी पालन किया जाने का उल्लेख है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 61/खलि.लि./खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
जनवरी 2023	70
मार्च 2023	130

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 14/03/2023 को रेत स्तर के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र एवं खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 250 मीटर, न्यूनतम 250 मीटर एवं खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 684 मीटर, न्यूनतम 668 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 36 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर है।

6. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining January, 2020 के अनुसार "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways" के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 कि.मी. की दूरी तक के क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। माईनिंग प्लान अनुसार 1.037 हेक्टेयर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 8,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 21,250 रूपये, खाद के लिए राशि 1,750 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 67,650 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 99,450 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में रख-रखाव हेतु कुल राशि 2,65,000 रूपये हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत [illegible] के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थल (खसरा 342 एवं क्षेत्रफल 0.74 हेक्टेयर) में किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित कार्ययोजना वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. नदी तट एवं पहुंच मार्ग में ग्रीन बेल्ट फेंसिंग का सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है, जबकि समिति द्वारा पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. में श्री अशोक सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य हेतु न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है के संबंध में शपथ पत्र

प्रस्तुत किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. में भी अशोक सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य हेतु न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स जानकारी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1204)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/60768/2021, दिनांक 14/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/60768/ 2021, दिनांक 01/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 458, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 464/1, क्षेत्रफल – 11.84 हेक्टेयर से 18.8 हेक्टेयर (46.5 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इनगट्स/हॉट बिलेट्स) – 36,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (टी–एमटी सरिया/पत्ता/स्ट्रक्चरल स्टील/वायर रॉड) – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत निवेश का कुल लागत 27 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 646, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(a) का स्टेण्डर्ड टीओआर (प्राइमरी सेकेण्डरी मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस)) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 08/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 08/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सौरभ रायजादा, डीजीएम एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री राम. रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के स्थापित आदेश क्षमता-60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट-8 मेगावॉट, ए.एफ.बी.सी. आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट-2.5 मेगावॉट एवं एम.एस. इनगट्स/बिलेट्स क्षमता-36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/04/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।
   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 08/01/2022 द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 5 का अपूर्ण पालन होना बताया गया है एवं शेष सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि अपूर्ण शर्त का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. **संवेदनशील स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - समीपस्थ आबादी ग्राम-सोण्ड्रा 100 मीटर एवं शहर रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम अस्पताल 2.6 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी. दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मांढर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 2.8 कि.मी., पोखरा नाला 1.2 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकलीपॉल्यूटेड औद्योगिक क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
4. **ग्रीन बेल्ट कवरेज –** वर्तमान में इकाई 11.84 हेक्टेयर में स्थापित है। क्षमता विस्तार हेतु 6.76 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गई है। कुल क्षेत्रफल

18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) है, जिसमें से डीआरआई किल्न (डब्ल्यू.एच.आर.बी.) का क्षेत्रफल 3 एकड़, इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल 2 एकड़, रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 2 एकड़, एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट का क्षेत्रफल 1.5 एकड़, स्टोरेज एरिया 8 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 3 एकड़, पार्किंग का क्षेत्रफल 1 एकड़, वाटर रिजर्वायर एवम् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल 2.8 एकड़, एडमिन बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.28 एकड़, ओपन एरिया 7.48 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 15.4 एकड़ है।

5. रॉ-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transport
1	For Steel Melting Shop (MS Billets/ Ingots) – 1,50,000 TPA			
A	Sponge iron	1,50,000	Own generation & Open market	By road (through covered trucks)
B	MS Scrap / Pig iron	23,000	Chhattisgarh	By road (through covered trucks)
C	Ferro alloys	2,000	Open market	By road (through covered trucks)
2	For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products) – 1,50,000TPA			
A	Hot billets / MS Billets / Ingots	1,55,000	Own generation & Open market	By road (through covered trucks)
3	Gasifier for Rolling mill (2,000 Nm^3/hr)			
A	Coal (Indian)	6,040	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By rail & road (through covered trucks)
B	Coal (Imported)	3,600	Indonesia / south Africa / Australia	Through sea route, rail route & by road

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit (product)		Existing Operating Plant	Proposed Expansion project	After Expansion project
1	DRI Kilns (Sponge iron)		60,000 TPA (2 x100 TPD)	–	60,000 TPA (2 x100 TPD)
2	Induction Furnace (MS Billet / Ingot)		36,000 TPA (2 x8 T)	1,14,000 TPA (Replacement of 2x8 T with 2x10 T IF & installation of new 2x15MT IF with matching LRF)	1,50,000 TPA (2x10 T & 2x15 T)
3	Rolling mill (Re-rolled product (structural steel/wire rod)		-	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace]	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace]
4	Power Plant	WHRB	9 MW	-	9 MW
		FBC	2.5 MW	-	2.5 MW

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर एवं 2 नग 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस में फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम (कनोपी हुड) के साथ बैग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। रि-हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण

निस्तारण हेतु स्थान आरक्षित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए उपलब्ध भू [illegible] के पारिस्थितिक [illegible] 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से [illegible] 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होना प्रस्तावित है। [illegible] 30 मीटर ऊंची चिमनी उपलब्ध है। [illegible] निस्तारण हेतु [illegible] किया जाएगा।

ii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Capacity (TPA)		Method of disposal
		Existing	Proposed	
1	Ash from DRI	18,200	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
2	Dolochar	27,000	-	Is being used as fuel for FBC based power plant.
3	Kiln Accretion slag	810	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
4	Wet scraper sludge	4,140	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
5	SMS Slag	3,600	11,400	Slag from SMS is being crushed and iron is being recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature is used as sub base material in road construction/ used in two brick manufacturing units operating in plant premises. The same will be continued even after expansion also.
6	Mill scales from rolling mill	-	3,000	Will be given to near by ferro alloy units.
7	End cutting from rolling mill	-	4,500	Will be recycled back as raw material in induction furnace.
8	Ash from power plant (with 100% Indian coal)	7,518	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with 100% imported coal)	1,200	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dolochar + Indian coal)	17,843	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dolochar + Imported coal)	10,448	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
9	Municipal Solid Waste			
a	Construction debris (generated during construction phase)			Used for land fill within the plant site and Recyclables will be given to authorized recyclers.
b	Canteen waste			Used in composting/ vermiculture, used as manure for greenbelt development.
c	Recyclables			Given to SPCB authorized dealers.

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 960 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 940 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 1,200 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 1,170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से 12 लाख लीटर (1,200 घनमीटर) प्रतिदिन के लिये अनुमति लिया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 180 घनमीटर प्रतिदिन एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न दूषित जल की कुल मात्रा 178 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उत्पन्न दूषित जल का पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है। साथ ही उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। मैकेनिकल से जनित सिलिकेटिक दूषित जल की स्लज को धूप से सुखाकर स्लैग आधारित सिरेमिक में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। समिति का मत है कि उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (क्षमता, डिजाइन सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3,884 घनमीटर प्रति घण्टा है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 6 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 12 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 8 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 12 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 17 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी जिसमें से 5.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति सीएसपीडीसीएल

एवं 11.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति कैप्टिव पॉवर प्लांट से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परिसर में 1.72 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 18.4 एकड़ (7.45 हेक्टेयर) 40.08 प्रतिशत क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 20 मीटर की चौड़ी ग्रीन पट्टी में एवं समीपस्थ ग्राम की तरफ 40 मीटर की चौड़ी ग्रीन पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी वृक्षारोपण हेतु 5 से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवित दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का बजटवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में पौधे रोपित किया जाना आवश्यक है।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च, 2021 से 20 जून, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **परिवेशीय परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण स्तर–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	30.8	52.6	60
PM_{10}	54.1	87.5	100
SO_2	8.9	25.8	80
NO_2	9.1	33.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल मानकीय मापक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	46.2	58.8	75
Night L_{eq}	38.2	56.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

Status	PCU / Day
Before operation of the expansion project	15,960.5
After operation of the Proposed expansion project	17,387.5

विस्तार के उपरांत भी ई–व्हीकल / सेंसरयुक्त के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहन क्षमता निर्धारित मानक (As per IRC: 73-1980 carrying capacity 20,000 PCU per day for National Highway) के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 18/04/2022 प्रातः 10:30 बजे स्थान – सीएसआईडीसी भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2, सिलतरा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई प्रतिवेदन सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 13/06/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**

i. स्थानीय बेरोजगारों को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किया जाए। साथ ही रोड डेवलपमेंट, गांव के विकास, स्कूल, पानी के निकास आदि में भी सहयोग प्रदान किया जाए।

ii. उद्योग के विस्तार से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सड़कों में डस्ट उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होती है।

iii. उद्योग की वाहनों के आवागमन से आस–पास के सड़क मार्ग प्रभावित होते है, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

iv. उद्योग के अंदर वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–

i. वर्तमान में उद्योग में लगभग 380 से 400 लोग काम कर रहे है जिनमें से 71 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। स्थानीय ग्राम के साथ–साथ समीपवर्ती ग्रामों में विकास कार्य किया जाएगा।

ii. उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना की गई है जिससे पर्यावरण प्रभावित न हो। सड़कों की सफाई के लिए मशीन लगा हुआ है एवं वॉटर टैंकर से जल छिड़काव किया जाता है।

iii. क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। साथ ही सड़कों में वाहनों के आवागमन से होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव का कार्य किया जाएगा।

iv. वृक्षारोपण हेतु 30 एकड़ में से 11.50 एकड़ भूमि में पौधे रोपित किये गये है जिसमें लगभग 14,800 पौधे लगे हुए हैं एवं प्रतिवर्ष अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की कोशिश करते है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	1%	27	Following activities at **Village Bhaismuda**	
			Eco-Park Nirman	28.26
			Total	**28.26**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,500 नग पौधों के लिए राशि 7,17,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,00,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,75,000 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,84,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,66,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 11,69,250 रूपये हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भैंसमुड़ा के सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 22/3(डी), क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के अतिरिक्त प्रस्तावित ग्राम में किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा प्रस्तावक कंपनी को निम्नानुसार निर्देश दिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (क्षमता, ड्राइंग सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. विद्युतिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. उद्योग परिसर के चारों ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी अर्थात् 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पंचवर्षीय व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 8 के

अपूर्ण पालन का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित प्रस्ताव में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी. आर.) प्रस्तुत किया जाए।

9. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज यथावश्यक सहित प्रस्तुत किया गया है।

2. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। पॉवर प्लांट से जनित दूषित जल के उपचार हेतु इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल

के उपचार हेतु एस.बी.आर. तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 25 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। गैसीफायर से जनित फिनोलिक वेस्ट वाटर को डी.आर.आई. किल्न के आफ्टर बर्निंग चेम्बर में जलाये जाने का प्रस्ताव है। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जाती है।

3. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किल्न से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 28 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 621.84 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 8.18 टन प्रतिवर्ष है तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 48.6 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 162.0 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्थापित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 84.78 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 783.84 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (2x8 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (2x10 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 19.952 टन प्रतिवर्ष होगा तथा नवीन इण्डक्शन फर्नेस (2x15 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 20.736 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 6.221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 216.136 टन प्रतिवर्ष होगा। स्थापित स्पंज आयरन किल्न एवं स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 123.509 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 999.976 टन प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत है, जिसके कारण माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 13/07/2018 एवं दिनांक 23/08/2018 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार "For expansion and diversification activity, the pollution load shall not exceed the existing load for which consent has been granted." जारी किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थापित इकाई से क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुपात आधारित की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. विद्युतीय व्यवस्था हेतु 2 नग 750 के.वी.ए. एकॉस्टिक इन्क्लोजर में स्थापित है, जिसकी चिमनी की ऊंचाई बिल्डिंग की ऊंचाई से 3.5 मीटर अधिक है। किया जाना प्रस्तावित है।

5. उद्योग में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव में कुल क्षेत्रफल का 40.26 प्रतिशत में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में पुनः उद्योग परिसर का परीक्षण उपरांत कुल क्षेत्रफल के 42.6 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके तहत् प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 6,15,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 1,30,000 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,84,280 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 9,29,280 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 19,81,013.23 रूपये पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति शर्तों के अपूर्ण पालन (स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना नहीं करने) का पूर्ण पालन करने के संबंध में बताया गया कि नियमानुसार इण्डक्शन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना किया जाना अनिवार्य नहीं है। अन्य इकाई जैसे कि स्थापित स्पंज आयरन एवं एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट में सी.ई.एम.एस. की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं री-हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में सी.ई.एम.एस. की स्थापना प्रस्तावित है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु आवेदन किया होने के कारण पूर्व में सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तुत कुल लागत का 1 प्रतिशत प्रस्ताव (26.26 लाख) को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना समिति के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रथम बार लायी जाने के कारण सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/स्थल से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित प्लाण्ट में किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1827)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/72046/2022, दिनांक 07/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर स्थित [illegible], कुल क्षेत्रफल – 88 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन्स (मुख्य खनिज), एवं क्रशर एण्ड स्क्रीनिंग प्लान्ट क्षमता – 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं न्यू आयरन ओर बेनिफिसिएशन (ड्राई/ वेट) क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोजन लागत 88 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 13/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 26/07/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, पार्टनर (प्रोजेक्ट) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में [illegible] माईन (चूना पत्थर), [illegible], कुल क्षेत्रफल – 60 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 0.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/01/2008 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-[illegible] के ज्ञापन क्रमांक/124/खनिज/2022-23 [illegible], दिनांक 13/05/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (मि.टन)
2017-18	निरंक
2018-19	79,000
2019-20	79,300
2020-21	84,800
2021-22	2,72,400
2022-23 (मिड अप्रैल)	14,800

2. छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, [illegible] मंत्रालय, रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक एफ-5-60/08/10-3 रायपुर, दिनांक 21/07/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "[illegible] खनिज उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु [illegible] की अनुमति प्रदान करता है।" का उल्लेख है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 12/08/2008, ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 16/08/2008 एवं ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 12/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. **उत्खनन योजना** – [illegible] प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/[illegible]-1268/2020 रायपुर, दिनांक 20/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), के आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी

सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित होने अथवा नहीं? होने के संबंध में जानकारी/ शपथपत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. **लीज का विवरण** – लीज क्षेत्र मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग (प्रा.) लिमिटेड के नाम पर है। छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-92/2003/12 नवा रायपुर, दिनांक 06/01/2017 द्वारा मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्रा. लि. के पक्ष में जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, वनमण्डल पूर्व भानुप्रतापपुर, तहसील दुर्गुकोंदल स्थित वन कक्ष क्रमांक 355 से 358 के कुल रकबा 215 हेक्टेयर क्षेत्र पर 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है तथा स्वीकृत माईनिंग लीज क्षेत्र 215 हेक्टेयर में से 88 हेक्टेयर (सेफ्टी जोन एरिया सहित) क्षेत्र का खनिपट्टा अनुबंध (लीज डीड) का निष्पादन किया गया है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसेटिव जोन की दूरी का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुर्गुकोंदल 8.15 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन केवटी 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। खारी नदी 430 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संरचना एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 61,60,548 टन एवं माईनेबल रिजर्व 52,50,377 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6.2 हेक्टेयर (3,87,793 टन) है। ओपन कास्ट फुली मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 20 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग, हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर एवं कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2021–22	2,99,103
2022–23	6,49,484
2023–24	7,49,716

2024-25	8,76,264
2025-26	9,02,290

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 80 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाती है। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 40 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 31/01/2022 से 30/01/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 6,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,200 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,250 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इनक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।
16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक किया गया।
17. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. समिति का मत है कि संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उक्त खनन कार्य से स्टेज-1 तथा स्टेज-2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं हुआ है ?

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्टेज-1 एवं स्टेज-2 स्वीकृति आदेश की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वन्य प्राणी संरक्षण योजना (अनुमोदित) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. क्रशर की क्षमता, लोकेशन आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्रशर से होने वाले फिजिटिव डस्ट उत्सर्जन को कम करने हेतु अपनाये जाने वाले उपकरणों की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान ले-आउट प्लान (माईनिंग क्षेत्र, क्रशर क्षेत्र, बेनिफिसिएशन क्षेत्र, नॉन माईनिंग क्षेत्र, सिविल/ऑफिस क्षेत्र, सेफ्टी जोन क्षेत्र एवं अन्य घटकों को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये) प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार क्षमता विस्तार हेतु प्रस्तावित ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।

7. लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
8. संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उक्त खनन कार्य से स्टेज–1 तथा स्टेज–2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं हुआ है?
9. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसेटिव जोन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनके द्वारा छःमाहीय पालन प्रतिवेदन प्रत्येक 6 माह में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में दिनांक 13/07/2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छःमाहीय पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की जानकारी दी गई है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्टेज–1 स्वीकृति आदेश दिनांक 18/12/2008 एवं स्टेज–2 स्वीकृति आदेश दिनांक 08/08/2009 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की गई है। समिति का मत है कि उक्त तैयार वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अनुमोदित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. खनन की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में प्रस्तुत ग्राम पंचायत अनापत्ति

प्रमाण पत्र में "स्वीकृत क्षेत्र में खनन से संबंधित एवं उसके परिवहन से संबंधित जो-जो भी कार्य स्थाई एवं अस्थाई रूप से किया जाएगा" का उल्लेख है।

5. लीज क्षेत्र के भीतर 1.4 हेक्टेयर क्षेत्र में 400 टन प्रतिघंटा क्षमता का क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रशर में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वॉटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

6. खनन ले-आउट प्लान (माईनिंग क्षेत्र, क्रशर क्षेत्र, बेनिफिसिएशन क्षेत्र, नॉन माईनिंग क्षेत्र, सिविल/ऑफिस क्षेत्र, सेफ्टी जोन क्षेत्र एवं अन्य घटकों को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये) प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार क्रशर स्थापना हेतु प्रस्तावित ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण को के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

8. वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर द्वारा जारी खनन कार्य के स्टेज-1 तथा स्टेज-2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है बाबत् प्रमाण पत्र वर्ष 2008 का प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में अद्यतन प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसेटिव जोन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि उक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर द्वारा जारी खनन कार्य के स्टेज-1 तथा स्टेज-2 में दिये गये शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है बाबत् अद्यतन प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र, निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसेटिव जोन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा चाही गई, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/1788 भानुप्रतापपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण योजना को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) द्वारा अनुमोदित किया गया है, अनुमोदन पश्चात् आवेदक संस्थान द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण योजना की लागत राशि 33.00 लाख रूपये कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है।

3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/1788 भानुप्रतापपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार उप वन मण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्टेज-1 एवं स्टेज-2 के शर्तों का पालन आवेदक संस्थान द्वारा किया गया है। प्रतिवेदन से सहमत होने का लेख किया गया है।

4. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/1788 भानुप्रतापपुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार लीज सीमा आवंटित वन क्षेत्र आर.एफ. 832, 833, 834 एवं 835 में निकटतम वन खण्ड क्रमांक पी.एफ. 831, पी.एफ. 832 स्थित है। आवंटित क्षेत्र के अंतर्गत अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ईको सेंसिटिव जोन स्थित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवंटित खदान (ग्राम-हाहालद्दी) का रकबा 80 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी-1 श्रेणी की है। यह प्रकरण क्षमता विस्तार के लौह अयस्क और फाइन (मुख्य खनिज) एवं भिन्न आकार हेतु खनिज खनन क्षमता – 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं न्यू आयरन ओर बेनिफिसिएशन (ड्राई/वेट) क्षमता – 0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष का है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल

[illegible] हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the noc from gram panchyat for installation of crusher in the lease area.

v. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

vi. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land

cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. **मेसर्स एसकेएस बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, एनएच–30, ग्राम–कुकदरा एवं रामपुर, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1526)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी2/ 68825/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 266887/2022, दिनांक 25/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 6 एवं ग्राम–कुकदरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97.125 हेक्टेयर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) के स्थान पर न्यू मोलासेस /ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना में विनिवेश की कुल लागत 141.26 करोड़ होगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1284/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./इ.ए./1526 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स एसकेएस बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 6 एवं ग्राम–कुकदरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97.125 हेक्टेयर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 25/04/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राकेश गौतम, डीजीएम कार्पोरेट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न संशोधन चाहा गया है:–

EC Reference	Existing	Amendment	Justification
Point 3. Raw Material (Page No. 3)	Molasses-C: 207 TPD Or Molasses-B heavy: 258 TPD Or Syrup (40-50° Brix): 315 TPD **Source:** From SSSUKM sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors in raw material also involved N,P – 120 kg/day turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D	Molasses-C: 207 TPD Or Molasses-B heavy: 258 TPD Or Syrup (40-50° Brix): 315 TPD **Source:** From SSSUKM sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors Or Grains (Broken rice/ FCI rice), Maize, Sorghum: 180 TPD Source: Nearby open market In raw material also involved N, P – 120 kg/day & turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D. In case of grain additional raw material Amylase 50 kg/day and Amyl glucosidase 90 kg/day involved.	In case of less/unavailability of Raw material (Molasses-C, B-heavy / Syrup) from the SSSUKM and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock. Distillery unit will install all the necessary arrangements to achieve Zero liquid discharge (ZLD).
B. Water Quality Monitoring and Preservation, point- vi	Raw spent wash generation from molasses-based distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. The concentrated spent wash generated from Multi-effect Evaporator shall be burnt in incinerator boiler Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank, neutralization tank, primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultrafiltration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. Domestic waste water shall be treated in Sewage Treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	Raw spent wash generation from distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. a) In case of molasses/syrup based process: The spent wash generated from distillery unit shall treated in Bio-methanation unit followed by Multieffect Evaporator followed by making of spent wash powder in spray dryer. b) In case of Grain based process: Slop/spent wash generated in process shall be treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by Drying – converting to Cattle feed. c) Other low strength effluent: Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant	a) For molasses based process: Due to change in ZLD scheme (biomethanation followed by evaporation followed by dryer system), Biogas will be generated from effluent, which will reduce the fuel requirement of distillery or it will be converted in CBG (compressed bio gas which is a substitute to LPG). Distillery spent wash will be converted to powder form in spray dryer. SW powder is rich in potassium, nitrogen, phosphorous etc., therefore it is good for soil enrichment. SW powder contains 12-16% of potash, therefore, it will be sold to fertilizer manufacturing unit. b) For grain-based distillery: In case of less/unavailability of raw material

		equalization tank, neutralization tank, primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultra-filtration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. ii) Sewage: Domestic waste water shall be treated in sewage treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	(Molasses C heavy/ B heavy/ Syrup) from the [illegible] and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock, in this case to achieve ZLD Stillage/spent-wash generated in process shall treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by drying - converting to cattle feed.

2. जल एवं वायु सम्मति – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के मोलासेस/सुगरकेन जूस/सिरप बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन (एक्स्ट्रान्यूट्रल एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाइड स्प्रिट / एब्सोल्यूट एल्कोहल उत्पादन हेतु) तथा कैप्टिव पॉवर जनरेशन (को जनरेशन बेस्ड) क्षमता – 3 मेगावॉट हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 08/03/2022 को जारी की गई है।

3. जल प्रबंधन व्यवस्था –

Description	C-Heavy (m^3/day)	B-Heavy (m^3/day)	Syrup (m^3/day)	Grain (m^3/day)
Water Input				
Process water for fermentation & CO_2 Scrubber	700	666.5	432	500
Boiler feed water @24 TPH (capacity 30 MT/hr)	577.5	460.5	430	550
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	100
For cooling towers makeup water	502	520	274	440
Other domestic usage	15	15	15	15
Daily utility washing & others	85.5	158.5	94	90
Total water Input at Start-up	2,076	1,908.6	1,310	1,666
Water Output				
Spent lees (PR & Rect.)	120	120	120	120
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	100
Exhaust condensate	550	460.5	380	480
Process condensate	460	534	216	383
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	122
Total Water Output	1,266	1,314.5	916	1,205
Water loss				

CT Evaporation & drift losses	602	520	274	448
Domestic consumption losses	10	10	10	10
Boiler blow down & steam loss (to CPU)	27.5	23	20	20
Daily washing & others (Sent to CPU)	86.5	91	90	90
Total Water Loss	**726**	**644**	**394**	**568**
Recycle Streams				
Less recycle for RS dilution (after CPU)	120	120	120	120
Process condensate (after CPU)	547.55	534	216	383
Steam condensate recycled to boiler	550	460.5	380	480
Soft water for vacuum pump & others cooling water	100	100	100	100
Other effluent like boiler blow down, flower washing & WTP reject	133	185.5	114	122
Total recycling / re-utilization of water per day	**1,450.55**	**1,399.5**	**930**	**1,205**
Total Daily water requirement / input	**625**	**586**	**380**	**480**

4. [illegible] –

Raw Material	**C-Heavy**	**B-Heavy**	**Syrup**	**Grain**
Total Daily water requirement / input (m^3/day)	625	586	380	480
The fresh water requirement per lit of Alcohol including domestic water	7.81 lit/ lit of RS	7.32 lit/ lit of RS	4.75 lit/ lit of RS	6.0 lit/ lit of RS
Concentrated spent wash dry at spray dryer (m^3/day)	32.44 Sold as fertilizer	70 Sold as fertilizer	24 Sold as fertilizer	42.6 Sold as cattle feed
Water Balance has been revised for amendment, minimum water requirement is 4.75 lit/ lit of RS and maximum water requirement is 7.81 lit/ lit of RS. **# The water requirement is reduced and it is below 8 lit/ lit of RS.**				

5. [illegible] –

Waste	**Quantity**	**Disposal**	**Remark**
Yeast Sludge	25-27 TPA	Used as soil enriching material	Organic
Cattle feed	42.6 TPD	Will be used as Cattle feed	Organic
Boiler ash	53.225 TPD	Sold to brick manufacturing units	Inorganic
Distillery Condensate Polishing Unit (CPU) Sludge	38-42 TPA	Mixed with soil	Organic/ Inorganic
Spent wash Powder	43.76 TPD	Given to fertilizer manufacturing units	Organic/ Inorganic
DG set spent oil	1-1.5	Will be given to	HW

	Kl./annum	authorised recycler	(cat 5.1)

Due to Changed scheme of ZLD, spent wash will be converted into powder, and sold to fertilizer manufacturing unit when grains are used as feedstock slop/spent wash will be converted into dry powder through dryer and it is used as cattle feed.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – 01 नग फ्लूडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर क्षमता 30 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मेकेनाईज्ड विधि के साथ [illegible] बैग [illegible] लगाया जाना प्रस्तावित है। कोल स्टोरेज एरिया / यार्ड में [illegible] बनाया जाना प्रस्तावित है। कोल हेण्डलिंग क्षमता 7 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। मेकेनाईज्ड [illegible] हेण्डलिंग सिस्टम, ओपनिंग / [illegible] में डस्ट सक्शन की व्यवस्था की जावेगी। [illegible] लगभग 180.4 टन प्रतिदिन (180 [illegible] प्रतिदिन), कोयला लगभग 152 टन प्रतिदिन / **बगास लगभग 240 टन प्रतिदिन** का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यदि बगास किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने पर कोयला / राईस हस्क का उपयोग किया जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. की स्थापना एवं चिमनी की ऊंचाई 47 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। किण्वन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईऑक्साइड स्क्रबर लगाया जाना प्रस्तावित है। [illegible] स्पेंटवाश को इवेपोरेशन में [illegible] को-ब्रीमेशन के माध्यम से स्पेंटवाश [illegible] में परिवर्तित कर खाद इकाई को प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। [illegible] को [illegible] से परिवहन तथा फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी में ऑनलाईन [illegible] मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

7. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – संशोधित प्रस्ताव 1.86 मेगावॉट के स्थान पर 3.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेशर स्टीम का उपयोग 02 मेगावाट क्षमता के स्थान पर 3.2 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जाएगी। टर्बो जनरेटर से प्राप्त लो प्रेशर स्टीम को डिस्टलरी इकाई में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग डीजी सेट (1,000 केवीए एवं 500 केवीए) की स्थापना की जाएगी। समिति का मत है कि प्रस्तावित डी.जी. सेट की संख्या, क्षमता की जानकारी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना आवश्यक है।

8. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि मोलासेस/ग्रेन बेस्ड आधारित डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना के संबंध में भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

- भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है–

  "देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए, संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–शीरा, गन्ने का रस, घास के रूप में [illegible], **कृषि अवशेष (चावल का भूसा, कपास की डंठल, मकई के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि),** स्टार्च युक्त सामग्री, जैसे

चुकंदर, चावल इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हो, अधिशेष के समय अनाज के रूप। सैलूलोज युक्त लिग्नोसेल्युलोसिक और समुद्री शैवाल की खेती से एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है।"

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है–

  "(क) इस अनुसूची की मद 5(छ क) में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय;

  (ख) परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक शपथ–पत्र के रूप में स्व–प्रमाणन के अनुसार, पूर्ण रूप से केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विद्यमान इकाई के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकी ऐसी डिस्टिलरी इकाइयों का एथनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी "ख2" परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

  परंतु यह कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से ईबीपी कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है या एथनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है या उक्त जानकारी एवं अपेक्षाएं, जिनके आधार पर परियोजना का श्रेणी ख 2 परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया गया है, को पूरा नहीं कर रही है तो पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त माना जाएगा।"

  उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक है।

8. परियोजना के विनिवेश की कुल लागत 141.28 करोड़ रुपए बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्काल कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों सहित 40 प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना का तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग का लैण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति में विनिवेश की कुल लागत तथा प्रस्तावित संशोधन के विनिवेश की लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित संशोधन अनुसार भारी वाहनों / कन्टेनर्स हैवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप में निम्न पदार्थ उपलब्ध है, एथेनॉल

उत्पादन के लिए बी-हैवी, गन्ने का रस, चाशनी के रूप में शर्करा, **कृषि अवशेष (चावल का भूसा, कपास की डंठल, मक्का के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शर्करा युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, स्वीट ज्वार इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के खराब होने पर कि खाने योग्य नहीं हो, अधिशेष के समय अनाज के रूप। सेल्युलोज युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी इथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 के अनुसार केवल इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 42वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि–

1. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों सहित 40 प्रतिशत ग्रीनबेल्ट क्षेत्र को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान की प्रस्तुत प्रति पठनीय नहीं है।

2. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग भाग की विस्तृत गणना का तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत उद्योग का लैण्ड यूटिलिटी स्टेटमेंट –

वर्तमान में लैण्ड यूटिलिटी स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)
1.	Fermentation + Distillation + MSDH + MEE+ Spirit Storage	6,070
2.	Ethanol storage Area	3,473
3.	Molasses Storage Tank Area	6,821
4.	Boiler and Power Plant Area	8,200
5.	Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP)	5,000
6.	ADM Building + Tempal + Guest House+ Utility Building	2,450

7.	Internal & Entrance Road	17,400
8.	Open Area including Parking Space	2,000
9.	Greenbelt Area (41%)	39,246
10.	Open Plot	3,565
Total Area		97,128

प्रस्तावित संशोधन उपरांत लैण्ड यूटिलिटी ब्रेकअप –

S.No.	Land use	Area (in SQM)
1.	Internal & Entrance Road	10,400
2.	Boiler and Power Plant Area	6,646
3.	Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP + Biomethanation Unit)	4,977
4.	Ethanol storage Area	3,460
5.	Molasses and Grain Storage Area	11,200
6.	Fermentation + Distillation + MSDH + MEE+ Spirit Storage + Milling and liquifaction Unit	7,365
7.	ADM Building + Tempal + Guest House+ Utility Building	2,428
8.	Open Area including Parking Space	1,986
9.	Open Space for Future Expansion	4,692
10.	Open Space for Future Expansion (Nr. Molasses Storage Tank)	4,255
11.	Greenbelt Area (41%)	39,246
Total Area		97,128

4. वर्तमान स्थिति में विनियोजन की कुल लागत तथा प्रस्तावित संशोधन से विनियोजन की लागत का ब्रेक–अप –

S.No.	Particular	Previous Amount (in Lakh)	New (Revised) Amount (in Lakh)
1.	Land development	15.00	15.00
2.	Builing and Civil work	2253.80	2253.80
3.	Plant and Machinery including taxes and duties	9147.36	10605.15
4.	Miscellaneous fixed assets	212.40	212.40
5.	Preliminary and per-operative expences	483.59	483.59
6.	Machinery stores/spares	15.00	15.00
7.	Contigencies @3%	193.24	193.24
8.	Margin money	200.00	200.00
9.	Additional provision for environmental management, green belt and rain water harvesting etc.	150.00	150.00
Total		12870.39	14128.21

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में पूर्व जारी पर्यावरण स्वीकृति के प्रोविज़न अनुसार सी–मोलासेस के परिवहन हेतु १४ टैंकर प्रतिदिन से १८ टैंकर प्रतिदिन एवं बी–हैवी मोलासेस के परिवहन हेतु १२ टैंकर प्रतिदिन से १८ टैंकर

प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित संशोधन अनुसार अधिकतम 12 टन प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। उक्त अनुसार प्रस्तावित संशोधन उपरांत 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत भारी वाहनों में कमी होगी।

6. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए** बी-शीरा, गन्ने का रस, चावल के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मक्के के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शक्कर युक्त सामग्री, जैसे चुकन्दर, ज्वार इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हो, अधिशेष के समय अनाज के रूप। सैलूलोज युक्त फीडस्टॉक और कचरे सैलूलोज की श्रेणी भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र **(Notarized undertaking)** प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में लेख किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 में 'केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विद्यमान इकाई के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकि सभी डिस्टिलरी इकाईयों या एथनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी "बी2" परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा' का उल्लेख है, किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) का मूल्यांकन श्रेणी "बी1" परियोजनाओं के रूप में किया गया है। अतः केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.82 करोड़ रूपए को सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्पादन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय कंपनी को निम्नानुसार निर्देश दिया गया था कि–

1. वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना स्थापना उपरांत प्लांट के कुल क्षेत्रफल के 41 प्रतिशत में वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्लांट केएमएल फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।

2. वर्तमान एवं प्रस्तावित क्रियाकलाप उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए** बी-शीरा, गन्ने का रस, चावल के रूप में बायोमास, **कृषि**

अवशेष (धान का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि), शर्करा युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, गन्ना इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, अधिशेष के समय अनाज के रूप। सैल्यूलोज युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की श्रेणी भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक सम्भावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र के रूप में undertaking प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.62 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित क्षमताविस्तार हेतु लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए की सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 27/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/11/2022 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 28/11/2022

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना स्थापना उपरांत प्लांट के कुल क्षेत्रफल के 41 प्रतिशत में वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्लांट केएमएल फाईल सहित प्रस्तुत की गई है।
2. वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षमताविस्तार उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध हैं, **एथेनॉल उत्पादन के लिए**: बी-शीरा, गन्ने का रस, चारा के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (धान का पुआल, कपास की डंठल, मकई के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शर्करा युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, गन्ना इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, अधिशेष के समय अनाज के रूप। सैल्यूलोज युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की श्रेणी भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक सम्भावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में undertaking प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तावित क्षमताविस्तार उपरांत लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए को सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् परियोजना

प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में undertaking प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.82 करोड़ रूपए को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किया गया है, अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं प्रस्तावित विस्तारीकरण उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.82 करोड़ रूपए को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किया गया है, अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 42वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रदूषण भार के संबंध में दिनांक 16/01/2023 को प्रस्तुत जानकारी में केवल प्रस्तावित संशोधन हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत तुलनात्मक गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.82 करोड़ रूपए को ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में प्रस्ताव जमा किया गया है, जिसके अनुसार क्षेत्रीय मंडल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, कवर्धा परियोजना मंडल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/समिति/2022-23/भा.नि./2143 कवर्धा, दिनांक 02/01/2023 द्वारा क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर को ईको पार्क स्थापित करने हेतु संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति बाबत् पत्र प्रेषित की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.82 करोड़ रूपए ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत तुलनात्मक गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. की राशि 2.62 करोड़ रूपए ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन की मात्रा 5.21 ग्राम/सेकण्ड एवं सल्फर डाईआक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 24.76 ग्राम/सेकण्ड होगी। प्रस्तावित संशोधन उपरांत पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन की मात्रा 4.63 ग्राम/सेकण्ड एवं सल्फर डाईआक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 7.327 ग्राम/सेकण्ड होगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सी.ई.आर. की राशि 2.62 करोड़ रूपए ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिनांक 21/03/2023 को पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. **मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड**, तहसील-बोड़ला, जिला-कबीरधाम, ग्राम-रामेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम-कुकदूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल - 9.7125 हेक्टेयर (24 एकड़) में मोलासेस आधारित क्षमता - 80 किलोलीटर प्रतिदिन (इण्डस्ट्रियल एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) **के स्थान पर** मोलासेस /ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता - 80 किलोलीटर प्रतिदिन (इण्डस्ट्रियल एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु **परिशिष्ट-08** में उल्लेखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई।
2. सी.ई.आर. की राशि 2.62 करोड़ रूपए से कलेक्टर कबीरधाम द्वारा आवंटित भूमि पर ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से विस्तृत प्रस्ताव (डीपीआर) की स्वीकृति को प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री प्रमोद बोहरा), ग्राम–कपसदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (अभिलेखागार का नस्ती क्रमांक 1,282)

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/147648/2020, दिनांक 02/04/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12/11/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कपसदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 431/1, 2, 432/1, 2, 3, 433/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्संबंध कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदन में संलग्नित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवंटित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति को वांछित संपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने से कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह में आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु

अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह में आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 28वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 29वीं बैठक दिनांक 26/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 08/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नितिन श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा मौखिक, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कचहरी का दिनांक 30/07/1996 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड माइनिंग प्लान (खनन सह प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (तकनीकी), संचालनालय

अधिकारी तथा खनि अभियंता, खान जयपुर अंचल जयपुर के आदेश क्रमांक 1752/ अधिअ/ खा.ख.अनुमोदन /म.आ.03 /2018(2) जयपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–राजसमंद के पत्रांक क्रमांक/232/खनि/03/2021 राजसमंद, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में 3 खदानें, क्षेत्रफल 1.761 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजसमंद के पत्रांक क्रमांक/1771/खनि/03/2020 राजसमंद, दिनांक 23/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, श्मशान, कब्रिस्तान, स्कूल, पुल, बांध, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज पूर्व में श्रीमती [illegible] के नाम पर थी। वर्तमान में लीज [illegible] के नाम पर है। लीज क्षेत्र का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 06/02/2007 से 05/02/2012 तक की अवधि हेतु था। लीज क्षेत्र का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 06/02/2012 से 05/02/2017 तक किया गया था। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 10 वर्षों की, दिनांक 06/02/2017 से 05/02/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्रीमती [illegible] के नाम पर है। खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनसंरक्षक अधिकारी, राजसमंद वन मण्डल, जिला–राजसमंद के पत्रांक क्रमांक/मा.चि. /10-1/8873 राजसमंद, दिनांक 01/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 2.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–[illegible] 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–[illegible] 1.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.6 कि.मी. दूर है। [illegible] 0.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,72,177 टन एवं मिनरेबल रिजर्व 2,98,882 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,368 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 10,908 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5

मीटर) में चरणबद्ध वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 2,750 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अधिकतम प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,000
द्वितीय	5,000
तृतीय	5,000
चतुर्थ	5,000
पंचम	5,000
षष्टम	5,000
सप्तम	5,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आवश्यकता किया निर्मित खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 131/1, 2, 432/1, 2, 3, 433/1 कुल क्षेत्रफल–1.90 हेक्टेयर, क्षमता – 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 510 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर (3,060 घनमीटर) की गहराई तक उत्खनित है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र का 5 मीटर (2,550 घनमीटर) गहराई को पुनर्भराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव एवं रिफिल की मात्रा का संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक V(ii)(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में [illegible] प्रस्तावित किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में केवल वृक्षारोपण किया जाना है। अतः [illegible] को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थानांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करें, तदनुसार पिटों की पुनःनिर्धारित करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचारण से पूर्व [illegible] निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village- Banhandi**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking water Facility	0.25
			Total	0.60

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. विगत वर्षों में उत्खनन किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (सिलसिलेवार वर्षों) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. [illegible] के नाम पर हस्तांतरित किये जाने के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. खदान की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से उत्खनित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करें, तदनुसार रिजर्व की पुनरीक्षित गणना करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यक्रम वर्षों का विवरण) कार्ययोजना के साथ प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की [illegible]वीं बैठक दिनांक [illegible]/2021 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/[illegible]/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक [illegible]/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 34/ख.लि./[illegible]/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/[illegible]/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2010-11	2,300
2011-12	2,110
2012-13	1,600
2013-14	3,234
2014-15	8,895
2015-16	10,268
2016-17	4,820
2017-18	5,000
2018-19	5,000
2019-20	4,995
2020-21	3,000

2. लीज क्षेत्र मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. खदान की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से उत्खनित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करें, तदनुसार रिजर्व की पुनरीक्षित गणना करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. उपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण) फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त क्रमांक 2 से 5 तक की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1187/खलि02/2014 राजनांदगांव, दिनांक 08/10/2014 द्वारा लीज क्षेत्र का हस्तांतरण मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर किया गया है।
2. खदान की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में खदानीकृत का लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित कर, तदानुसार रिजर्व की पुनर्गणित गणना करते हुए संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. उपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणबद्ध व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. खदान की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में खदानीकृत का लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करें, तदानुसार रिजर्व की पुनर्गणित गणना करते हुए संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणबद्ध व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की आठवीं बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. खनन को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से व्यवस्थित कर लीज क्षेत्र के अंदर व्यवस्थित करें, तदनुसार रिजर्व की पुनर्गणित गणना करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में ही संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

   जवाब में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "अनुमोदित खनन योजना में दर्शित माईनिंग लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर सुरक्षा घेरे के दक्षिण सीमा के छोटे से भाग में अवैध खनन के भाग के उत्खनन व पीटलेवल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं उस सीमा के पास की जगह आवागमन के लिए इस्तेमाल होगी साथ ही उसके बाहर स्थल की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।"

   समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है। उक्त क्षेत्र में खनन व्यवस्थित किया जाना संभव नहीं है। अतः खनन को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से व्यवस्थित कर लीज क्षेत्र के अंदर व्यवस्थित करें, तदनुसार संशोधित प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 10,000 घनमीटर है, जिसमें से 7,000 घनमीटर मिट्टी को पूर्व से ही उपयोग किया जा चुका है। शेष 3,000 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। भविष्य में यदि 3,000 घनमीटर मिट्टी में से भी मिट्टी शेष रह जाती है, तो शेष मिट्टी को सार्वजनिक स्थल की निजी भूमि में स्थानांतरित कर संरक्षित रखा जाएगा।

3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव नक्शा सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 45,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रूपये, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 40,000 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,29,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,72,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र से बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में सघन वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज रियायत नियम (Minerals Concession Rules) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल या अपशिष्ट प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसका संग्रहण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक देख-रेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थानांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करें, तदनुसार संशोधित प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में उत्खनित 7,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का संबंधित खनिज अधिकारी से सत्यापन कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. खदान की भूमि पर उत्खनित मिट्टी सुरक्षित रखी जावेगी उसका भूमि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के उत्पादन आंकड़े की वास्तविक जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. के तहत् तय की गई राशि का उपयोग स्कूल में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(श्री डी. राहुल वेंकट)	(प्रो. [illegible])
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़

मेसर्स [illegible] रेत खदान (पी–ए) (ठे.– श्रीमती [illegible])
की प्रार्थित खसरा क्रमांक – [illegible], कुल क्षेत्रफल–3.88 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही, ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible], जिला–[illegible] (छ.ग.) में [illegible] नदी से रेत उत्खनन क्षमता 6,600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खदान पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, जलीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 3.88 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 6,600 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करवाने जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

6. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसकी आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जावेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के तीव्रता Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के तीव्रता Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

7. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

निर्धारित क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अंतिम माईन तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (बार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं के बहाव के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टोपोग्राफी एवं जल बहाव की व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रक्रमों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसु, आम, इमली, बीजा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 80 नग पौधों का रोपण नदी तट एवं 400 नग पौधे पहुंच मार्ग के दोनों तरफ पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण

किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।

17. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

18. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

19. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village- Bajawand	
			Pavitra Van Nirman	5.72
			Total	5.72

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 नग पौधों के लिए राशि 27,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,34,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,53,000 रूपये तथा द्वितीय वर्ष में कुल राशि 2,19,300 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 2 वर्षों में कुल राशि 5,72,300 रूपये व्यय होगा, जिसमें से आवेदित खदान द्वारा व्यक्तिगत रूप से राशि 2,86,150 रूपये व्यय किया जाएगा। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत बजरवण्ड की सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 482, रकबा 0.45 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपोनेन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/लीज/घाट के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

26. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

27. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि सीमित श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

30. श्रमिकों का समय–समय पर आकुपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्त की कार्यवाही को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विशेषज्ञों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पुनः विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्धारित करने बाबत् निर्णय ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-[illegible] एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स एम–1, रानापाली सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री कुमार कुमार गुप्ता)
की खसरा क्रमांक 01, कुल रकबा–3 हेक्टेयर में से 1.868 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ग्राम–रानापाली, तहसील व जिला–जशपुर (छ.ग.) में स्थित नदी से रेत उत्खनन क्षमता 18,660 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।

2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी समूह में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 1.868 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 18,660 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने वाले हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

6. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसकी आंकड़े सहित एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं स्थिर बिन्दुओं से माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खदान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर किया जावेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के तदनुसार Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के तदनुसार Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

7. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन मशीन (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

निगरानी केन्द्र से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (**Excavation pits**) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वार्षिक जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का कटाव न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खनन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टोपोग्राफी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकारों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं करना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खनन प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशम, आम, इमली, आंवला आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,050 नग पौधों का रोपण नदी तट एवं 750 नग पौधे पहुंच मार्ग के दोनों तरफ पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही**

रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व होने संबंधी आवेदक का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।

17. रोपित किये जाने वाले पौधों में क्रमांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

18. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

19. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रावधान पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village- Ratanmati	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	2.98

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, जामुन, बेल, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 53,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,98,000 रुपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत रतनमाटी के सहमति उपरांत चयनित स्थल (खसरा क्रमांक 11/2, क्षेत्रफल 8.071 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) की सीमा में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया

जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/प्लांट/परियोजना के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

26. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, पंचायतों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

27. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/1/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि प्रवासी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

30. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ परीक्षण कराया जावे।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्पादन / निष्कासन के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को सशर्त

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। प्रस्ताव में कोई भी विचलन अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING M.S. INGOTS (INDUCTION FURNACE) BILLETS/CCM OF CAPACITY- 15,000 TONNES / YEAR TO 54,000 TONNES/ YEAR, RE-ROLLED STEEL PRODUCTS OF CAPACITY- 51,300 TONNES / YEAR (HOT CHARGING BASED ROLLING MILL) OF M/S SUNIL STEELS (A UNIT OF SUNIL RE-ROLLERS AND STEEL PRIVATE LIMITED), PLOT NO. - 380(PART) & 382/8, TOTAL AREA 1.05 HA, URLA INDUSTRIAL AREA, TEHSIL & DISTRICT - RAIPUR

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. **Statutory Compliance:**

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Project proponent shall dismantle the existing re-heating furnace based rolling mill. Re-rolled products shall obtain only based on hot charging. No any re-heating furnace based rolling mill shall be operated under any circumstances.

If industry fails to comply the above condition the Environmental Clearance will be treated as cancelled.

II. **Air Quality Monitoring and Preservation:**

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit :-

Particulate Matter	Less than 30 mg/Nm³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) generated (if any) from the process. Sludge generated from effluent treatment plant (if any) shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. Project proponent shall be provide treatment facility for domestic effluent. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. **Energy Conservation Measures**

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace(s) or any other furnace(s). Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace(s) of Rolling Mill of capacity 1,20,000 tonnes / year as a fuel.

ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. **Waste Management**

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall given to metal recovery units. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or sasting unit. Tar and Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Hazardous waste generated from the plant premises shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended up to the date).

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. **Green Belt**

i. Green belt shall be developed in an area not less than 41 % of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. **Public Hearing & Human health issues**

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. **Corporate Environment Responsibility**

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
830.1	2%	16.6	Following activities at nearby Murkidham, Rasadihara	
			Plantation	16.60
			Total	16.60

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

viii. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (As Amended).

5. Additional Conditions

i. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance alongwith these conditions shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of

ix. Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स पेन्ड्रीतराई डोलोमाइट खदान (श्री – श्री पटवा / लाल अग्रवाल) की खसरा क्रमांक 21/3(पार्ट), 21/4 एवं 47(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 1.32 हेक्टेयर, ग्राम–पेन्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में डोलोमाइट (गौण खनिज) उत्खनन – 13,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.32 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाइट का अधिकतम उत्पादन 13,900 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्की मुनारें लगवाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के पश्चात (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापन इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्थान हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी ड्रिलिंग / पिट / साईट लोडिंग से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण / सामान्य मापदंड से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, खनिज, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्थानों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। ढुलाई मार्ग, पिट, लोडिंग क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं द्वारा वाटरटैंकर कम स्प्रिंकलर सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। नियत ढुलाई रोड का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. खुदाई, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई खनन का काम / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थल पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का कटाव रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के बाहरी जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु सैटलिंग पिट तथा खनन क्षेत्र में सिल्टेशन पौंड / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन तिरपाल से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1	Following activities at, **Village- Kokadi**	
			Plantation in approach village road	6.65
			Total	6.65

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्णता प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,27,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,63,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 5,02,000 रूपये हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थल (ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई के अधीन ग्राम कोकड़ी के पहुंच मार्ग के दोनों ओर, खसरा क्रमांक 272) में वृक्षारोपण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपोनेन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 680 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में हरित क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, नीबू, आम, इमली, अर्जुन, सीताफल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 270 नग पौधों का रोपण (कुल 1,080 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार से बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित क्षेत्र में उपलब्धतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सड़क वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) का प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की सूची हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से अनुपचारित जल उत्सर्जित होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल विश्लेषण की व्यवस्था किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्जर्वेशन नियम Minerals Conservation Rule के तहत् बाउण्ड्री पिलरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DBA एवं रात्रि के समय 70 DBA से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार समुचित उपचार भी कराया जाए।

32. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग प्रचालित किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे धूल का प्रभावी नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर आवधिक प्रकार से की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि स्थानीय प्रजाति वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण अत्यंत आवश्यक होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि प्रवासित श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर समस्त पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार प्रस्तावित योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता से परिवर्तन अथवा निर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उपयोग / निष्पादन की सहमति को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए जानकारी एवं आंकड़ों का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्देशित शर्तों का अनुपालन समय नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पुनः विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त विनिर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सकें। प्रस्ताव में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स [illegible] रेत खदान (श्री – श्री [illegible])

को ग्राम [illegible] खसरा क्रमांक – 78, कुल क्षेत्रफल–4.0 हेक्टेयर में से 2.1 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में, ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में स्थित [illegible] नदी से रेत उत्खनन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।

2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट — परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जलस्त्रोत, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 2.1 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्रफल में उत्खनन नहीं करेगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदारा द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।

6. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपर्युक्तानुसार निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसकी आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही स्थिर बिन्दुओं से माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

7. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

सिवाय बेंच से बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र से निकाले रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से बहाव के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का तल, हाइड्रोलिक्स एवं जल बहाव की व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रक्रमों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढंके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बांस, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीताफल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 400 नग पौधों का रोपण नदी तट एवं 200 नग पौधे पहुंच मार्ग के दोनों तरफ पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण

किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।

17. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

18. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

19. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव का कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt. Higher Secondary School Village-Dhamansara	
			Rain Water Harvesting	0.40
			Running Water Arragement in Toilets	0.35
			Plantation in the School premises	1.495
			Total	2.245

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए प्रथम वर्ष में राशि 40,000 रुपये तथा आगामी वर्ष हेतु राशि 1,00,000 रुपये हेतु पारदर्शन व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (कलेक्टर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया

जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/प्लान्ट के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य कराया नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

26. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, एजेन्सियों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

27. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/1/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि बाहरी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

30. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ मॉनिटरिंग कराया जावे।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्ययोजना में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उपरोक्त / निम्नानुसार के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

36. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विशेषज्ञों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा इस विषय पर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। प्रस्ताव में कोई भी विस्तार अथवा उपान्तरण एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

<u>ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S NKJ BIOFUEL PRIVATE LIMITED FOR NEW MOLASSES/GRAIN BASED DISTILLERY CAPACITY – 80 KILO LITER PER DAY (ANHYDROUS ALCOHOL / RECTIFIED SPIRIT / EXTRA NEUTRAL ALCOHOL) AT VILLAGE- RAMHEPUR (KHASRA NO. - 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5) AND VILLAGE- BUDHWARA (KHASRA NO. - 63/1, 82/4), TEHSIL - BODLA DISTRICT - KABIRDHAM, AREA: 24 ACRE</u>

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory Compliance:

i. Environmental clearance accorded is for molasses/grain based distillery capacity 80 KLPD only and other based distillery unit shall not be operated without prior permission.

ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish and Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

v. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

vi. Transportation of molasses and sugar syrup from M/s Bhoramdev Sahakari Shakkar Utpadak Karkhana shall through pipeline and remaining molasses shall be transported through leakage proof trucks from nearby sugar industries and other vendors of Grains (Broken rice which is unfit for human consumption).

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 Continuous Emission Monitoring System at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall install online Continuous Ambient Air Quality Monitoring System for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions. These systems shall be connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and ambient air quality monitoring to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal Office of CPCB and Regional Office of CECB along with six monthly monitoring reports.

iv. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

v. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/CECB guidelines.

vi. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Electro static precipitator of adequate capacity and high efficiency shall be installed in boiler with minimum 57 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 50 mg/Nm³ all the time. Carbon dioxide scrubber shall be installed in fermentation unit. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.

vii. Project proponent shall install CO2 scrubber for recovery of CO2. CO2 generated from the process shall be bottled/made solid ice and utilized/sold to authorized vendors.

viii. Fly ash generated from boiler and raw material shall be transported through covered trucks.

ix. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.

x. Storage of raw materials, coal, bagasse etc. shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. For online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises and connected to CECB and CPCB online servers.

ii. Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.

iii. Process effluent/any waste water shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.

iv. The quality of treated effluent shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Chhattisgarh Environment Conservation Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.

v. Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.

vi. In case of molasses/syrup based process. The spent wash generated from distillery unit shall treated in bio-methanation unit followed by Multieffect Evaporator followed by making of spent wash powder in spray dryer. The concentrated spent wash generated from Multi-effect Evaporator shall not be incinerated in boiler.

vii. In case of Grain based process: Stillage/spent wash generated in process shall be treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by Drying – converting to Cattle feed.

viii. Other low strength effluent: Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank, neutralization tank primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultra-filtration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. Domestic waste water shall be treated in sewage treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.

xiii. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains etc. to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Acoustic enclosure shall be provided to DG set for controlling the noise pollution.

ii. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.

iii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

VI. Waste Management

i. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.

ii. The company shall undertake waste minimization measures as below:

a) Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.

b) Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.

c) Use of automated filling to minimize spillage.

d) Use of close feed system into reactors.

e) Venting equipment through vapour recovery system.

f) Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area of at-least 9.688 acre (40%) of the plant area 24 acre with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant.

VIII. Safety, Public hearing and Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

vi. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project Proponent proposed to allocate Rs. 2.60 Crores towards CER which shall be spent as submitted in CER plan for Eco Park Development in the area allotted by the Collector Kabirdham for this purpose. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

ii. The Project proponent shall submit progress report of work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months to SEIAA/SEAC, C.G.

iii. The project proponent shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly report to the head of the organisation.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ii. The Project proponent shall submit progress report of work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months to SEIAA/SEAC, C.G.

iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral

parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the Chhattisgarh Environment Conservation Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as the Ministry, New Delhi, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Level Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) / SEIAA, CG.

xii. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. The MoEF&CC / SEIAA, CG may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. The MoEF&CC / SEIAA, CG reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**